पयामे अम्न

(शान्ति सन्देश)

इस्लामी दृष्टि से

लेखक

मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फ़ारूक़ी नदवी

(प्रोफ़ेसर दारुल उलूम, नद्वतुल उ़लमा, लखनऊ)

(व अध्यक्ष, जमअ़ीयत पयामे अम्न, लखनऊ)

प्रकाशक

मकतबः पयामे अम्न

नदवा रोड, डालीगंज, लखनऊ, 20 (यू०पी०) इण्डिया

© सर्वाधिकार सुरक्षित

नाम-	पयामे अम्न (शान्ति सन्देश)
लेखक-	मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फ़ारूक़ी नदवी
प्रकाशक-	मकतबः पयामे अम्न, नदवा रोड, डालीगंज, लखनऊ-20 (यू०पी०) इण्डिया
संस्करण हिन्दी-	प्रथम
पुस्तक संख्या-	1000
वर्ष-	2023
मूल्य-	रु० 60/-
कम्पोज़िंग-	इरफ़ान अहमद

Book Name-	**Payam-e-Amn Aur Us ke Taqaze**
Writer-	**Mufti Mohd Sarwar Farooqui Nadwi**
Publisher:	**Maktaba Payam-e-Amn** Nadwa Road, Daliganj, Lucknow (U.P.) India
Website:	www.islamicjpamn.org
Mobile–	0091– 9919042879, 9984490150
E–Mail:	maktaba.pyameamnlko@gmail.com

मिलने के पते

1. मजलिसे तहक़ीक़ात व नशरियात, नदवतुल उलमा पोस्ट बाक्स नं० 119 (लखनऊ) (0522-2741529)
2. न्यू सिल्वर बुक एजेन्सी, 14, मुहम्मद अली रोड, भिन्डी बाज़ार, मुम्बई (0522-2741539)
3. अल् फ़ुरकान बुक डिपो, नज़ीराबाद-14 (लखनऊ) (9936635816)
4. मकतबः शबाब जदीद, नदवा रोड, लखनऊ (9198621671)
5. न्यू वाटर टैंक, बंगरौली मोड़, बंगरौली ऊपरहार प्रयागराज (9457904603)

विषय सूची

विषय	पृष्ठ सं०
प्रस्तावना	07
मानव प्रेम की आवश्यकता	09
इन्सानी ज़रूरत	09
विश्वव्यापी अम्न की दो बुनियादें	10
मुल्क में अम्न क़ायम करने के साधन	10
समाजी ज़िन्दग़ी के आदाब	11
अच्छे आचरण के ज़रिये अम्न व शाँति	11
शान्ति भंग करने वाली चीज़ें	12
अम्न को क़ायम करने के माध्यम	13
अम्न क़ायम करने के स्रोत	14
पयामे अम्न के तक़ाज़े	15
अम्न व शान्ति क़ायम करने का इरादा रखने वालों के लिए संकल्प	16
इस्लाम में अम्न व सलामती की शिक्षा	17
इस्लाम अम्न व सलामती का नाम है	17
इस्लाम में क़त्ल करना बड़ा जुर्म है	17
अम्न के लिए पहला स्रोत	17
मालिक की अपने बन्दों से मुहब्बत	18
अम्न का दूसरा अहम स्रोत समानता है	19
इन्सानियत का एलान	19
इस्लामी समानता	20
क़ुर्आन में समानता का हुक्म	20
क़ुर्आन के अनुसार तमाम इन्सानों के माँ बाप एक	21
इस्लामी समानता की ऐतिहासिक घटनाएँ	22
सवारी में समानता	22
हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि०) के सफ़र का क़िस्सा	23
निकाह़ में मसावात	23
ज़ैनब बिन्त जहश का निकाह़	24

विषय	पृष्ठ सं०
ग़ुलाम हज़रत बिलाल का निकाह़	24
ग़ुलाम उसामा बिन ज़ैद का निकाह़	24
हज़रत अ़ली (रज़ि०) और उन का ग़ुलाम	25
ग़ुलाम के साथ समानता	25
हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का बदला देने का इरादा	25
हुकूमत और रिआ़या (जनता) में समानता	26
अम्न की एक अहम ज़रूरत इन्साफ़	28
हुक़ूक़ की अदाएगी के ज़रिये अम्न	29
बच्चों के हुक़ूक़ अदा करने के ज़रिये अम्न	29
वालिदैन के हुक़ूक़ अदा करने के ज़रिये अम्न	29
हुकूमत के हुक़ूक़ अदा करने के ज़रिये अम्न	30
ख़िलाफ़त का मक़्सद अम्न को क़ायम करना	30
क़रीबी रिश्तेदारों के हुक़ूक़ के ज़रिये अम्न	30
ग़ैर मुस्लिमों की सुरक्षा और उन के हुक़ूक़	31
ग़ैर मुस्लिमों को तक्लीफ़ पहुँचाने की मनाही	32
सब से बड़ा जुर्म	33
ग़ैर मुस्लिम के क़ातिल पर जन्नत ह़राम	33
ग़ैर मुस्लिम पण्डितों या पादरियों के क़त्ल की मनाही	33
ग़ैर मुस्लिम के क़त्ल का बदला	34
ग़ैर मुस्लिमों पर ज़ुल्म की मनाही	34
मज़लूम ग़ैर मुस्लिम शहरी की वकालत	35
ग़ैर मुस्लिम शहरियों की सुरक्षा	35
ग़ैर मुस्लिम शहरियों की ख़ारिजी सुरक्षा	36
ग़ैर मुस्लिम बच्चों के क़त्ल की मनाही	36
जंगी लश्कर को आदेश	37
ग़ैर मुस्लिमों के उपास्य को बुरा कहने की मनाही	37
ग़ैर मुस्लिमों के पूजा स्थलों की सुरक्षा	37
ग़ैर मुस्लिमों को आग में जलाने की मनाही	39
ग़ैर मुस्लिमों के यहाँ लूटमार करने की मनाही	40
दुश्मन की खेतियों को नुक़्सान पहुँचाने की मनाही	40

विषय	पृष्ठ सं०
महिलाओं के हुक़ूक़ के ज़रिये अम्न	40
मिल्कियत का हक़	41
विरासत में औरत का हक़	41
मज़लूम की मदद और ज़ुल्म की मुख़ालिफ़त	41
अच्छे सम्बन्ध के ज़रिये अम्न	42
अम्न व सलामती के अहम वसूल	43
मज़हबी आज़ादी के ज़रिये अम्न	44
इन्सानी ज़ुल्म व सितम	45
अच्छे व्यवहार के ज़रिये अम्न	46
वालिदैन के साथ अच्छा व्यवहार	47
नेकी के ज़रिये अम्न	47
नेकियों की क़िस्में	48
क़ुर्आन के अनुसार हुक़ूक़	48
सच्ची गवाही के ज़रिये अम्न	49
बुराई के जवाब में भलाई	50
नेकी में मदद के ज़रिये अम्न	50
ख़ैर के ज़रिये अम्न	50
माल के ज़रिये अम्न	50
बुराई में मदद न करने के ज़रिये अम्न	51
बेहयाई से परहेज़ के ज़रिये अम्न	51
अम्न क़ायम करने के इस्लामी सिद्धान्त	52
अल्लाह तआला की नाराज़गी	54
हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का पैग़ाम अम्न व सलामती	55
हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) अम्न का ज़रिया हैं	55
मरीज़ो और कमज़ोरो पर आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की रहमत	56
ख़िद्मत गुज़ारो पर आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की रहमत	56
काफ़िरों और मुश्रिकों पर रहमत	57
हैवानात और जमादात पर आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की रहमत	58
हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का ग़ैर मुस्लिमों के साथ सुलूक	60
अम्न को तबाह करने के स्रोत	61

विषय	पृष्ठ सं०
अम्न को क़ायम रखने की ज़िम्मेदारी	62
अम्न की हिफ़ाज़त	62
दहशतगर्दों की मदद	63
क़ातिल को सज़ा	63
ख़ानगी अम्न व सलामती	64
हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का पहला तहरीरी दस्तूर (मीसाक़-ए-मदीना मुनव्वरह)	65
अम्न को क़ायम करने की ज़िम्मेदारी	69

प्रस्तावना

بسم الله الرحمن الرحيم

अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आ़लमीन वस्सलातु वस्सलामु अ़ला सय्यिदिलमुर्सलीन मुहम्मदिन व अ़ला आलिही व अस्हाबिही अज्मईन

इन्सानों को सच्चा रास्ता दिखाने के लिए जितने भी रसूल (सन्देष्टा) आये वह तमाम अम्न व सलामती के प्रचारक थे और हर एक ने अपने समाज व मुल्क और माहौल में शान्ति बनाये रखने की भरपूर कोशिश की।

इस्लाम की शिक्षा है कि कोई इन्सान किसी इन्सान पर ज़ुल्म व ज़्यादती न करे और न किसी को तक्लीफ़ पहुँचाए चाहे वह मुस्लिम हो या ग़ैर मुस्लिम। इसलिए कि अम्न के माहौल के बिना कोई व्यक्ति सुकून से नहीं रह सकता और न घर, ख़ानदान या मुल्क की तरक़्क़ी हो सकती है। जैसा कि हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने फ़रमाया है-

"الخلق عيال الله فاحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله"

अनुवाद- "मख़्लूक़ (सृष्टि) अल्लाह तआ़ला का कुन्बा है और अल्लाह के नज़्दीक मख़्लूक़ (सृष्टि) में बेहतर वह है जो उस के कुन्बे के साथ एहसान करे"।

इसीलिए इस्लाम में हर क़िस्म के पड़ोसियों के साथ चाहे वह मुस्लिम हो या ग़ैर मुस्लिम, हुस्ने सुलूक करने का हुक्म दिया गया है अर्थात धर्म जाति देखे बिना मरीज़ों की अ़यादत व ख़िद्मत करने के साथ कमज़ोरों और बेसहारा लोगों की मदद करने का हुक्म है। इसीलिए हर मुसलमान रोज़ाना नमाज़ों के ज़रिये अम्न व सलामती की दुआ़ करते हैं और हर नमाज़ में एक साथ खड़े होकर यह साबित करते हैं कि कोई बड़ा छोटा नहीं। फिर नमाज़ में अल्लाह की बड़ाई और अपनी कमज़ोरी व आ़जिज़ी का इज़्हार होता है। नमाज़ में क़ुर्आन करीम की तिलावत और सूरः फ़ातिहा के ज़रिये हिदायत की दुआ़ की जाती है और

सलाम के ज़रिये अम्न व सलामती का पैग़ाम होता है।

यह एक नाक़ाबिले इन्कार हक़ीक़त है कि इस्लाम अम्न का सब से बड़ा स्रोत और विश्वव्यापी अम्न का सब से बड़ा इच्छुक है जो एक इन्सान के नाहक़ क़त्ल को पूरी इन्सानियत का क़त्ल क़रार देता है। फ़तेह मक्का के मौक़े पर हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की ओर से जानी दुश्मनों को माफ़ी देकर इन्सानी इतिहास में अम्न के लिए की जाने वाली सब से बड़ी कोशिश थी।

मगर अफ़्सोस! आज उसी इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा जा रहा है।

ज़रूरत इस बात की है कि इस्लाम की अम्न से सम्बन्धित शिक्षाओं को आ़म किया जाए। अल्लाह तआ़ला से दुआ़ है कि वह इस किताब को क़ुबूल फ़रमा कर विश्व शाँति का ज़रिया बनाए और हिदायत को आ़म फ़रमाए।

अब आख़िर में हम जनाब आसिफ़ भाई और अनस भाई के शुक्रगुज़ार हैं जिन की हिम्मत अफ़्ज़ाई से हौसला मिलता है। अल्लाह तआ़ला अपनी शान के मुताबिक़ अज्र अ़ज़ीम अ़ता फ़रमाए। वस्सलाम

मुहम्मद सरवर फ़ारूक़ी नदवी
(दारुलउलूम नद्वतुल उ़लमा, लखनऊ)
02-04-2019

मानव प्रेम की आवश्यकता

आज सारे संसार पर दुराचार का मानसून छाया हुआ है, कहीं स्वार्थ का मानसून है तो कहीं इच्छा भक्ति का, लोलुप्ता का, तो कहीं पूंजीवाद का। यदि इस धरती के दिल को चीर कर या आँसुओं को बहाकर पर्वतों, वृक्षों और नदियों के ज़रिये इस धरती की कराह सुन सकते तो अवश्य उस कराह को हम मह़सूस करते। यदि वृक्ष और पशु बोलते तो वह बताते कि इस धरती की अंतरात्मा घायल हो चुकी है और यह पतन की ओर जा रही है।

आज सभी उपलब्धियों और सुविधाओं के बाद भी व्यक्ति उद्देश्यहीन है। इसलिए कि इस के हृदय में उठने वाले मानसून को रोकने के लिए हमने कोई विकल्प नहीं दिया। इसलिए आज आवश्यकता है कि मानवता को साफ़ और सीधे राजमार्ग पर चलाने का प्रयास किया जाए जिससे प्रेम की भावनाएँ उत्पन्न हों।

आज एक विशाल अभियान की आवश्यकता है जो बड़े-बड़े स्वार्थमयी पहाड़ों को हिला दे, इच्छाओं के टीलों को उड़ा दे और तमाम इन्सानों को एक कुंबा समझ कर मुहब्बत व हमदर्दी और अम्न का माहौल क़ायम करे। अतः इस के लिए संतों, धार्मिक विद्वानों, दार्शनिकों, लेखकों और आचार्यों को मैदान में आकर नफ़रत की आग को बुझाकर प्रेम के द्वीप जलाने होंगे।

इन्सानी ज़रूरत

अम्न (शाँति) की नेअ़मत इन्सानी ज़रूरियात में से एक अहम ज़रूरत है। इसी नेअ़मते अम्न की वजह से बन्दे अपने मालिक की अ़िबादत करते और अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हैं। इसी नेअ़मत की वजह से विद्यार्थी पढ़ते और कोशिश करने वाले दुनिया के लिए कोशिशें करते हैं। अम्न (शाँति) से ही रुह़ को इत्मिनान और दिल को चैन व सुकून मिलता है। इसी की वजह से लोग अपने सामाजिक, आर्थिक और ज़रूरियात को पूरा करते हैं।

विश्वव्यापी अम्न की दो बुनियादें

विश्वव्यापी अम्न क़ायम करने के लिए दो साधन हैं। एक हमेशा के लिए और दूसरा थोड़े समय के लिए। चुनाँचे इस इन्सानी दुनिया में शाँति स्थापित करने की पहली बुनियाद एक अल्लाह (परमेश्वर) को मानना और दूसरी बुनियाद आदम व ह़व्वा की सन्तानों को समान मानना अर्थात सभी इन्सानों के साथ समानता का व्यवहार करना। इन्सानी तारीख़ इस पर गवाह है कि इन्सान ने जब भी इन दोनों बातों से हट कर कोई दूसरा तरीक़ा अपनाया तो यह ज़मीन फ़ित्ना व फ़साद से भर गई।

अम्न (शाँति) की यही दो अहम बुनियादें हैं। जिन के ज़रिये अम्न को क़ायम किया जा सकता है।

(1) अल्लाह (पारब्रहम परमेश्वर) को एक मानना।

(2) सभी इन्सानों को एक माँ-बाप की सन्तान मानना।

मुल्क में अम्न क़ायम करने के साधन-

मुल्क या संसार में अम्न को क़ायम करने की अहम बुनियाद उन के अधिकार को पूरा करना और एक इन्सान पर दूसरे इन्सान के जो अधिकार हैं उसे अदा करना। जिस में रहने सहने उठने, बैठने, चलने फिरने, बोलने चालने, खाने-पीने, सोने-जागने और नहाने-धोने से सम्बन्धित नियम हैं, जिन के ज़रिये एक दूसरे की मदद और बुराई से परहेज़ करने से अम्न का माह़ौल क़ायम होता है, जो निम्नलिखित हैं-

(1) माँ-बाप के अधिकार अदा करना। (2) औलाद के अधिकार अदा करना। (3) मियाँ-बीवी को एक दूसरे के अधिकार अदा करना। (4) रिश्तेदार, दोस्त व साथी और ससुराल के अधिकार अदा करना। (5) शिक्षक के अधिकार अदा करना। (6) छात्रों के अधिकार देना। (7) पड़ोसियों के अधिकार देना। (8) यतीमों के अधिकार देना। (9) बेवाओं के अधिकार देना। (10) ज़रूरतमन्दों के अधिकार देना। (11) गुलामों और लौंडियों के अधिकार देना। (12) ख़ादिमों और नौकरों के अधिकार देना। (13) मेहमान के अधिकार देना। (14) हर

क़िस्म के पड़ोसियों के अधिकार देना। (15) आ़म इन्सानों के अधिकार देना। (16) जानवरों और परिन्दों के अधिकार देना।

इन तमाम अधिकारों की अदायगी अ़द्ल व इन्साफ़ से अगर की जाती हैं तो अम्न का माह़ौल क़ायम होता है और इन अधिकारों को न अदा करने पर ही यह फ़साद का ज़रिया बन जाते हैं। इसी तरह़ यह अधिकार जब अदा किये जाते हैं तो यही शाँति का ज़रिया बन जाते हैं।

समाजी ज़िन्दगी के आदाब

समाजी ज़िन्दगी के कुछ अहम आदाब जिन को अपनाने से शाँति का वातावरण क़ायम हो सकता है। जो निम्नलिखित है-

(1) पाकी (सफ़ाई) अपनाना। (2) अदब से खाना-पीना (3) मज्लिस या सभा में अदब से बैठना। (4) मुलाक़ात अच्छे तरीक़े से करना। (5) बातचीत अच्छे तरीक़े से करना। (6) बाहर निकलने और चलने फिरने में अच्छा तरीक़ा अपनाना। (7) सफ़र के आदाब सीख कर करना। (8) सोने और जागने के आदाब सीख कर करना। (9) लिबास अदब से पहनना। (10) खुशी का सह़ी तरीक़ा सीख कर करना। (11) ग़म के मनाने का अच्छा तरीक़ा अपनाना। इसी तरह़ आदाब अम्न के माह़ौल को क़ायम करने में मदद्ग़ार होता है।

अच्छे आचरण के ज़रिये अम्न व शाँति

नीचे दी गई कोशिशें भी अम्न के क़्याम करने का ज़रिया बनती हैं। जैसे-

(1) आपसी मेलजोल रखना। (2) एह़सान और अच्छा व्यवहार करना। (3) मुह़ब्बत व हमदर्दी करना। (4) लोगों से बेनियाज़ी (लालसा से दूरी) अपनाना। (5) एतिदाल व सन्तुलन अपनाना। (6) अमानत व दियानत अपनाना। (7) इन्साफ़ व अ़द्ल से काम लेना। (8) दूसरों के लिए क़ुर्बानी का जज़्बा रखना। (9) वादा पूरा करना (10) बुराई का बदला भलाई से देना। (11) बर्दाश्त करना। (12) कामियाबी के गुण अपनाना। (13) घमण्ड न करना। (14) अच्छा मामला करना (15) ह़क़गोई व बेबाकी से काम लेना। (16) ह़ौसलामन्दी अपनाना। (17) शर्म व ह़या करना। (18) अल्लाह का

ख़ौफ़ रखना। (19) ख़ुशमिज़ाजी अपनाना। (20) रह़म व दया अपनाना। (21) मुह़ब्बत व हमदर्दी अपनाना। (22) थोड़े माल में राज़ी रहना। (23) सादगी अपनाना। (24) सख़ावत व फ़य्याज़ी करना। (25) छोटों पर रह़म करना। (26) नर्म बात करना। (27) सब्र करना। (28) सच्चाई अपनाना जैसे ज़बान की सच्चाई, दिल की सच्चाई, अ़मल की सच्चाई (29) पाकबाज़ी अपनाना। (30) माफ़ी व दरगुज़र से काम लेना। (31) ग़रीबों की मदद करना। (32) समानता का व्यवहार करना। (33) नर्मी अपनाना। (34) पड़ोसियों से ह़ुस्ने सुलूक करना। (35) यतीमों की मदद करना। (36) खुद्दारी अपनाना। (37) शुजाअ़त व बहादुरी अपनाना।

इन तमाम कोशिशों से अम्न का वातावरण क़ायम हो सकता है। इन के ख़िलाफ़ अ़मल करने से फ़साद का माह़ौल क़ायम होता है।

शाँति भंग करने वाली चीज़ें

यह बुराईयाँ वह हैं जो इन्सानी समाज में फ़साद का ज़रिया बनती हैं। जैसे-

(1) किसी का मज़ाक़ उड़ाना। (2) बिला ज़रूरत ख़र्च करना। (3) किसी का राज़ बताना। (4) सत्ता की लालच रखना। (5) कन्जूसी करना। (6) बद्दियानती करना। (7) बद्कारी करना। (8) बद्गुमानी करना। (9) अश्लील बातें करना। (10) बुग्ज़ व कीना रखना। (11) इल्ज़ाम लगाना (12) बेह़याई करना। (13) बेसब्री व तकल्लुफ़ करना। (14) तबाही व बर्बादी करना। (15) फ़ुज़ूलख़र्ची करना। (16) तिजारत में बद्सुलूकी करना (17) तअ़स्सुब करना। (18) तफ़र्क़ा बाज़ी करना। (19) जासूसी करना। (20) बेजा बह़स करना। (21) झगड़े करना। (22) झूठ बोलना। (23) झूठी गवाही देना। (24) चुग़लखोरी करना। (25) चोरी करना। (26) दुनिया से मुह़ब्बत करना। (27) ह़सद करना। (28) ख़ुशामद और बिला ज़रूरत तअ़रीफ़ करना। (29) ख़यानत करना जैसे- आँख, दिल और अ़मल की ख़यानत (30) धोखाधड़ी करना। (31) दग़ाबाज़ी करना। (32) दहशतगर्दी करना। (33) दोरुख़ापन अपनाना। (34) माल जमा करने की लालसा रखना। (35) रिश्वत लेना। (36) एकांतमय जीवन अपनाना। (37) रियाकारी (दिखावा) करना। (38) बद्कारी करना। (39)

ज़्यादती करना। (40) सूद लेना। (41) शराबनोशी करना। (42) तअ़ना देना। (43) ह़िर्स व लालच करना। (44) ज़ालिम को ज़ुल्म से न रोकना। (45) ज़ुल्म व सितम करना। (46) नंगापन अपनाना। (47) हठधर्मी करना। (48) औ़रतों की तरह़ बनने की कोशिश करना और औ़रतों को मर्दों की तरह़ बनने की कोशिश करना। (49) किसी पर बिलावजह आरोप लगाना। (50) जबरन कहीं पर क़ब्ज़ा करना। (51) गद्दारी करना। (52) ग़ुस्सा करना। (53) किसी बँटवारे से पहले चुपके से कोई चीज़ उठा लेना। (54) झूठ बोल कर कोई चीज़ ह़ासिल कर लेना। (55) बदतमीज़ी करना। (56) किसी को नीचा दिखाना। (57) घमंड करना। (58) गाली गलौच करना। (59) क़त्ल व ग़ारतगरी करना। (60) रिश्ते तोड़ना। (61) लअ़नत मलामत करना (62) माल की लालसा करना। (63) नाइन्साफ़ी करना। (64) नापतौल में कमी व बेशी करना। (65) अपनी नस्ल को अहमियत देना। (66) कपटाचारी होना। (67) नफ़रत व बेज़ारी पैदा करना। (68) वादा ख़िलाफ़ी करना। (69) लालच करना।

यह सब वह बुराईयाँ हैं जिस से समाज बिखर जाता है और सुकून ग़ारत हो जाता है।

अम्न को क़ायम करने के माध्यम

अम्न को क़ायम करने के माध्यम तीन हैं-

(1) दिल के ज़रिये। (2) ज़बान के ज़रिये। (3) अंगो (हाथ-पैर) के ज़रिये।

(1) दिल के ज़रिये

(1) नियत सह़ी हो आ़दत के तौर पर न हो।
(2) निस्वार्थ हो।
(3) वास्तविकता हो।
(4) मुह़ब्बत से हो जबरन न हो।

(2) ज़बान के ज़रिये

(1) वह़दानियत एकेश्वरवाद की गवाही हो।
(2) सच्चाई हो।

(3) चुग़ली से बचने की कोशिश हो।
(4) अच्छाई का हुक्म करना और बुराई से रोकना हो।
(5) शब्दों में गहराई हो, ओछापन न हो।

(3) अअ़ज़ा (अंगों) के ज़रिये

(1) कान के ज़रिये अच्छी बातों को ध्यान से सुनना।
(2) आँख के ज़रिये अच्छी चीज़ों को ही देखना, बुरी चीज़ों को न देखना।
(3) ह़लाल खाना और ह़राम व नशीली चीज़ों से परहेज़ करना।
(4) हाथ को सह़ी जगह इस्तेमाल करना, ग़लत कामों में इस्तेमाल न करना।
(5) अच्छे कामों के ख़िलाफ़ कोई क़दम न उठाना।

इसी तरह़ नीचे दी गई बातों के ज़रिये भी अम्न को क़ायम किया जा सकता है। जैसे- सब्र, इख़्लास (निस्वार्थ) की भावना रखना और ह़या, शुक्र, मुरव्वत, अदब, इ़ल्म, ह़िक्मत, ग़ैरत, शौक़, ज़ौक़ यक़ीन वग़ैरह के ज़रिये अम्न क़ायम कर सकते हैं।

अम्न को क़ायम करने के स्रोत

(1) सब्र के ज़रिये।
(2) पाकदामिनी के ज़रिये।
(3) बहादुरी के ज़रिये।
(4) इन्साफ़ के ज़रिये।

(1) सब्र के ज़रिये-

ह़ालात आने पर बर्दाश्त करना, ग़ुस्सा पी जाना, किसी को तक्लीफ़ न पहुँचाना, ख़ाकसारी करना और किसी पर ह़मला न करना।

(2) पाकदामिनी के ज़रिये-

बुराईयों से दूरी अपनाना, पाकीज़गी, पाकदामिनी और ह़या अपनाना, ह़या का असर हर मख़्लूक़ (सृष्टि) पर पड़ता है। पाकदामिनी से झूठ, कन्जूसी और बदकारी का ख़ात्मा होता है।

(3) बहादुरी के ज़रिये-

अपनी इ़ज़्ज़त को बाक़ी रखना, अच्छे आचरण का नमूना बनना, माल व जान से दूसरे की मदद करना, तैश व ग़ज़ब से दूर रहते हुए अपने नफ़्स को अ़क़्ल के ज़रिये इस्तेमाल करना।

(4) अ़द्ल व इन्साफ़ के ज़रिये-

हर एक के साथ अ़द्ल व इन्साफ़ करना।

पयामे अम्न के तक़ाज़े

पयामे अम्न के तक़ाज़े निम्नलिखित हैं-

(1) पैदा करने वाले मालिक को एक मानना।
(2) तमाम इन्सानों को एक माँ-बाप की सन्तान मान कर सब के साथ समानता का व्यवहार करना अर्थात नस्ल, ज़बान और रंगत में फ़र्क़ न करना।
(3) हर एक के साथ न्याय करना।
(4) हर इन्सान के जो अधिकार हैं उन्हें अदा करना।
(5) हर इन्सान की सुरक्षा और उन के अधिकार देना।
(6) औ़रतों के अधिकार देना।
(7) मज़लूम की मदद करना और ज़ुल्म की मुख़ालिफ़त करना।
(8) ख़ुशगवार सम्बन्ध बनाना।
(9) हर इन्सान के लिए मज़हब की आज़ादी देना।
(10) अच्छे व्यवहार करना।
(11) सच्चाई अपनाना।
(12) नेकी के कामों में मदद करना।
(13) बेहयाई से परहेज़ करना।
(14) अम्न क़ायम करने के सिद्धान्त को अपनाना।
(15) अम्न को तबाह करने वाले काम और उस के स्रोत से परहेज़ करना।
(16) अम्न को क़ायम करने और उस को बाक़ी रखने की ज़िम्मेदारी निभाना।

अम्न व शान्ति क़ायम करने का इरादा रखने वालों के लिए संकल्प

1. यदि मैं विद्यार्थी हूँ तो मेरा उद्देश्य शिक्षा उन्नति, सामाजिक भलाई और अच्छा नागरिक बनना होगा और एक दूसरे से मिलकर आपस की भ्राँतियों को दूर करने का प्रयास करूँगा।
2. यदि मैं सेवा कार्य में हूँ तो मेरा सिद्धान्त सत्यता ईमानदारी तथा निष्पक्ष भाव से सेवा करना होगा।
3. यदि मैं व्यापारी हूँ तो अनुचित लाभ या आर्थिक शोषण करने से बचूँगा।
4. यदि मैं अध्यापक, लेखक, पत्रकार अथवा कवि हूँ तो ऐसे विचारों में योगदान करुँगा जो मनुष्य के प्रति मित्रता का भाव उत्पन्न करते हों और घृणा और क्रोध से बचने में सहायक हों।
5. यदि मैं न्यायधीश हूँ तो न्याय के साथ उचित अधिकार दिलाने का प्रयास करूंगा।
6. पहले इस देश को फिर पूरे विश्व को नैतिक पतन और मानवता के दमन से बचाने के लिए पूर्ण प्रयास करुँगा तथा इस धरती के निवासियों को अपना भाई और अपने कुटुम्ब का एक व्यक्ति समझकर उनके प्रति प्रेम, सहयोग एवं सहानुभूति का व्यवहार करुंगा।

इस्लाम में अम्न व सलामती की शिक्षा

इस्लाम शब्द "سَلِمَ يَسْلَمُ سَلَامًا وَّ سَلَامَةً" सलिमा से निकलता है, जिस का मतलब अम्न व सलामती के होते हैं।

इस्लाम अम्न व सलामती का नाम है-

इस्लाम अपने शब्द के एतिबार से पूरी तरह़ अम्न व सलामती, ख़ैर व आ़फ़ियत और सुरक्षा व अमान का नाम है। इस्लाम फ़साद व हलाकत से न सिर्फ़ मह़फ़ूज़ रहने बल्कि हर किसी को मह़फ़ूज़ व सुरक्षित रखने का नाम है। यही वजह है कि इस्लामी शिक्षा भलाई और अम्न व सलामती की ज़मानत देता है।

इस्लाम में क़त्ल करना बड़ा जुर्म है-

इस्लाम में क़त्ल व ग़ारत, ख़ूँरेज़ी, फ़ित्ना व फ़साद और नाह़क़ ख़ून बहाना इतना बड़ा जुर्म है कि क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला ऐसे मुजरिमों को सख़्त सज़ा देंगे।

● ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने ख़ूँरेज़ी की शिद्दत बयान करते हुए फ़रमाया- "क़ियामत के दिन लोगों के दर्मियान सब से पहले ख़ूँरेज़ी का फ़ैसला सुनाया जाएगा"।

(सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल् दियात नं० 6471 सह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल् क़ियामः वल् मुह़ारिबीन अल् क़िसास वलूदियात नं० 1678)

अम्न के लिए पहला स्रोत

अम्न के लिए ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) जो सब से पहला क़दम उठाया वह यह है कि इन्सानियत को एकेश्वरवाद का साफ़ और स्पष्ट अ़क़ीदा बताया जो इन्क़िलाबी ज़िन्दग़ी की कायापलट देने वाला ऐसा अ़क़ीदा था कि न इन्सानियत ने इस से पहले कोई ऐसा अ़क़ीदा पाया था और न क़ियामत तक

पा सकेगी। इस अ़क़ीदे का मतलब यह है कि यह दुनिया बिला किसी ह़ाकिम व मालिक के नहीं है और न इस के कई ह़ाकिम व मालिक हैं, बल्कि इस का एक ही बादशाह व शहन्शाह है जो इस का पैदा करने वाला मालिक है, उसी को पूरा अख़्तियार है।

अल्लाह तआ़ला ने अपनी न कोई औलाद बनाई है और न उस के साथ कोई दूसरा साझीदार है, इसलिए कि अगर कई उपास्य होते तो हर एक अपनी मख़्लूक़ात में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़ हुक्म चलाता और नतीजा यह होता कि दुनिया का निज़ाम संभालने में उन के दर्मियान टकराव पैदा हो जाता, लेकिन मामला इस के उल्टा है, पूरे संसार का निज़ाम बहुत सुदृढ़ है और हर चीज़ एक दूसरे से एक ख़ास नियम के मुताबिक़ जुड़ी हुई है और अगर कई होते तो हर एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करता और फ़साद बरपा हो जाता।

मालिक की अपने बन्दों से मुह़ब्बत

तमाम मख़्लूक़ात उसी मालिक का कुन्बा है, जो उस के कुन्बे के साथ अच्छे आचरण से पेश आता है तो वह उस से मुह़ब्बत करता है। चुनाँचे पवित्र क़ुर्आन में है-

وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ﴿١٤﴾

अनुवाद- "और वह बड़ा माफ़ करने वाला, बहुत मुह़ब्बत करने वाला है"। (सूरः बुरूज-14)

ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने फ़रमाया, "तमाम मख़्लूक़ अल्लाह का कुन्बा है, लिहाज़ा जो उस के कुन्बे के साथ अच्छे सुलूक से पेश आएगा, वह अल्लाह तआ़ला का पसन्दीदा बन्दा होगा"। (मजूमउ़ल ज़वायद 191/8)

अम्न का दूसरा अहम स्रोत समानता

हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से पहले इन्सान क़बीले व क़ौमों के ऊँच-नीच में बँटा हुआ था और उन का आपसी भेदभाव ऐसा और इतना था जितना इन्सान व हैवान में या आज़ाद व ग़ुलाम में अन्तर होता है।

इन्सानियत का एलान-

हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने अम्न के लिए इन्सान की इज़्ज़त व एहतिराम का एलान किया, ताकि फ़ित्ना व फ़साद में उस का ख़ून न बहे। हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से पहले इन्सान ज़िल्लत की पस्ती में गिर चुका था और इस धरती पर उस से ज़्यादा ज़लील व हक़ीर कोई चीज़ नहीं थी।

हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने इन्सानियत को उस की शराफ़त व इज़्ज़त वापस की और उस का खोया हुआ वक़ार व एतिबार बहाल किया और यह एलान किया कि इन्सान इस कायनात का सब से क़ीमती सरमाया और क़ीमती जौहर है और पूरी दुनिया में उस से ज़्यादा इज़्ज़त और मुहब्बत व हिफ़ाज़त का हक़दार और कोई नहीं।

इस के सन्दर्भ में यह है कि इस धरती पर बसने वाले तमाम इन्सानों और क़ौमों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए और इस समानता को अमली तौर से अपनाने में कोई हिचकिचाहट महसूस न की जाए चाहे धर्म और आस्थाएँ अलग-अलग ही क्यों न हों।

इसलिए कि तमाम इन्सान एक मर्द और एक औरत अर्थात आदम और हव्वा की औलाद हैं, जिस तरह एक माँ बाप के बच्चों में कोई अन्तर नहीं होता, उसी तरह तमाम इन्सानों के दर्मियान किसी तरह का कोई अन्तर नस्ल व क़ौम की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए।

रंग और नस्ल का अन्तर या देशी या विदेशी का अन्तर सरासर ग़लत है जिस में उलझ कर हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत की दीवार खड़ी करते

हैं, हालांकि हमें चाहिए कि इन से दूर रहते हुए शाँति को स्थापित करने की कोशिश करे, इसलिए कि वास्तव में हर इन्सान रिश्ते के एतिबार से भाई-भाई हैं जो एक माँ-बाप अर्थात हज़रत आदम और हव्वा की औलादें हैं।

इन्सान के इज़्ज़त की बुनियाद दौलत, रंग, ख़ून, नस्ल, क़ौम या कोई ख़ास इलाक़ा क्षेत्र नहीं होना चाहिए बल्कि केवल अच्छा अमल होना चाहिए। इन्सान इस बिना पर इज़्ज़त का हक़दार नहीं हो सकता कि वह करोड़पति या अरबपति है या उस का रंग गोरा या विशेष जाति से है।

इस्लामी समानता

इस्लाम हर व्यक्ति को चाहे वह किसी मुल्क या क़ौम का हो, इन हुक़ूक़ में समान समझता है।

(1) अपनी राय देने का हक़ सब को हासिल होता है।
(2) औरतों को भी अपनी राय देने का हक़ हासिल होता है।
(3) हर व्यक्ति हर व्यापार कर सकता है कोई व्यापार जाति के आधार पर नहीं होता।
(4) मस्जिदों में हर व्यक्ति जा सकता है और जो क़ुर्आन अच्छा जानता हो वह इमाम बन सकता है चाहे किसी भी समुदाय का हो।
(4) क़ब्रस्तान में और उसके पट्रो या कपड़ो में अमीर व ग़रीब का कोई अन्तर नहीं होता।

क़ुर्आन में समानता का हुक्म

बहुत सी जातियाँ और रंग सिर्फ़ पहचान के लिए होते हैं। किसी जाति को दूसरी जाति पर फ़ज़ीलत (श्रेष्ठता) सिर्फ़ परहेज़गारी की बुनियाद पर होती है न कि किसी नस्ल या वंश में पैदा होने से। जैसा कि क़ुर्आन में मौजूद है-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ

अनुवाद- "ऐ इन्सानो! हम ने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा

किया और तुम्हें जातियों और क़बीलों में बाँट दिया, ताकि आपस में एक दूसरे को पहचान सको (बाक़ी रहा इ़ज़्ज़त का सवाल) तो तुम में अल्लाह के नज़्दीक सब से ज़्यादा इ़ज़्ज़त वाला वही है जो सब से ज़्यादा परहेज़गार (संयमी) हो"। (सूरः हुजूरात आयत नं० 13)

व्याख्या– इसमें दुनिया के सारे इन्सानों को बताया गया है कि हमने तमाम इन्सानों को एक माँ-बाप अर्थात आदम व हव्वा से पैदा किया है, इसलिए सभी एक दूसरे के भाई हैं।

इस में दूसरी बात यह कही गई है कि इन्सानों के दर्मियान रंग व नस्ल और शक्लों और ज़बानों का का अन्तर केवल आपसी पहचान के लिए है। उन में से कोई भी चीज़ इ़ज़्ज़त व श्रेष्ठता की बुनियाद नहीं है। इ़ज़्ज़त व श्रेष्ठता का पैमाना तो एक ही है वह यह कि जिस के अन्दर अल्लाह का ख़ौफ़ और परहेज़गारी हो वही इन्सान सब से इ़ज़्ज़त वाला है।

क़ुर्आन के अनुसार इन्सानों के माँ बाप एक–

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ
تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۝١

अनुवाद– "ऐ लोगों! डरते रहो अपने रब से जिस ने पैदा किया तुम्हें एक जान से और बनाया उस से उस का जोड़ा और फैला दिये उन्हीं से बहुत तअ़दाद में मर्द और औ़रतें और डरते रहो अल्लाह से जिस का वास्ता तुम एक दूसरे को देते रहते हो और रह़म के रिश्तों से बेशक अल्लाह तुम पर निगराँ व निगेहबान है"। (सूरः निसा आयत नं० 1)

व्याख्या– अर्थात अल्लाह के ह़क़ को मानना और दूसरे आदम व ह़व्वा अर्थात तमाम इन्सानों को एक माँ-बाप की औलाद समझकर तमाम इन्सानों को एक दूसरे का भाई समझना।

यह बुनियादें हर इन्सान के दर्मियान बराबर हैं चाहे वह जिस देश के हों, काले हों या गोरे, मर्द हों या औ़रतें वह चाहे किसी भी नस्ल से या मज़हब के

मानने वाले हों या किसी भी शक्ल व सूरत के हों और कोई भी ज़बान बोलते हों सब को एक माँ-बाप की औलाद समझ कर उन सब की इ़ज़्ज़त करना।

इस्लामी समानता की ऐतिह़ासिक घटनाएँ–

ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने फ़तेह़ मक्का के बाद ह़रम में जो भाषण दिया था, उस में वह लोग थे जिन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ इक्कीस साल तक ज़ुल्म व अत्याचार में कोई कसर नहीं उठा रखी थी और शायद ही कोई सीना या चेहरा ऐसा हो जो उन की तीरों से ज़ख़्मी न हुआ हो, लेकिन ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने फ़रमाया–

"आज तुम से कोई बदला नहीं और तुम सब आज़ाद हो"।

फिर फ़रमाया, "ऐ क़ुरैश! जाहिलियत का ग़ुरूर व घमण्ड और नसब (वंश) का ग़ुरूर अल्लाह ने मिटा दिया है। तमाम लोग आदम की नस्ल से हैं और आदम मिट्टी से बने थे"।

फिर यहाँ सूरः हुजूरात की तेरहवें नं० की आयत पढ़ी।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ
لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۝١٣

ऊपर की आयतों में तमाम क़ौमों और गिरोहों के दर्मियान एक माँ-बाप की औलाद होने का रिश्ता बताया गया है, ताकि अम्न का माह़ौल क़ायम हो जिस से ह़क़ बात पहुँचाने में आसानियाँ हों।

सवारी में समानता

ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की एक घटना इस प्रकार है कि जंगे बद्र में सवारियाँ कम थीं। एक ऊँट पर तीन-तीन लोग थे, दो लोग सवार होते और एक शख़्स पैदल चलता। इस तरह़ हर व्यक्ति अपनी-अपनी बारी में पैदल चलता। ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की सवारी में भी ह़ज़रत अ़ली (रज़ि०) और ह़ज़रत अबू लुबाबा (रज़ि०) थे। जब ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) के पैदल चलने की बारी आती तो ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) पैदल चलते और वह दोनों लोग सवार रहते थे"।

हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि०) से रिवायत है कि हम लोग बद्र के तीन आदमी एक ऊँट पर थे और हज़रत अबू लुबाब व हज़रत अ़ली (रज़ि०) आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की सवारी पर थे। ऐसा होता जब रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के पैदल चलने की बारी आती तो वह दोनो अ़र्ज़ करते, आप सवार हो जाइए ताकि हम आपकी तरफ़ से पैदल चलें। आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) फ़रमाते, न तुम दोनों पैदल चलने में मुझ से ज़्यादह ताक़तवर हो और न मैं सवाब में तुम लोगों से ज़्यादा बेनियाज़ हूँ।
(तब्क़ात इब्ने सअ़द पेज नं० 259)

हक़ीक़त यह है कि हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) सब को समानता का पाठ पढ़ा कर अ़मल कर के दिखा रहे थे।

हज़रत उ़मर फ़ारूक़ (रज़ि०) के सफ़र का क़िस्सा-

हज़रत उ़मर फ़ारूक़ (रज़ि०) के शाम सफ़र का क़िस्सा बहुत मशहूर है कि ऊँट पर ग़ुलाम और ख़लीफ़ा बारी-बारी से सवार होते थे, क्योंकि पिछली बैठक पर उन के खाने का सामान और खजूर की गुठलियाँ ऊँट के लिए लदी हुई थीं, जिस वक़्त शहर में इस्लामी कैम्प के ख़लीफ़ा के दाख़िले का वक़्त था और तमाम फ़ौज मय सिपाहसालार अपने ख़लीफ़ा की स्वागत के लिए तैयार थीं और बहुत सी क़ौमें ख़लीफ़ा की शान व शौकत देखने के लिए इकट्ठा हो गई थीं, उस वक़्त उन लोगों ने देखा कि एक ऊँट पर एक व्यक्ति बैठा है और एक व्यक्ति उस का महार पकड़ कर आगे चल रहा है। ग़ैर मुस्लिम तमाशाईयों में से एक शख़्स ने एक मुस्लिम से पूछा कि क्या आप का ख़लीफ़ा यही है जो इस ऊँट पर सवार है?

उस मुस्लिम ने निहायत सुकून से जवाब दिया नहीं, वह नहीं हमारा ख़लीफ़ा अमीरुल् मोमिनीन तो वह है जो इस ऊँट की महार पकड़े पैदल आ रहा है, सवार तो उन का ग़ुलाम (नौकर) है यह देखकर लोगों को बड़ा तअ़ज्जुब हुआ। यह है "समानता की मिसाल"। (तारीख़ इब्ने ख़ल्दून भाग-एक पेज नं० 270)

निकाह़ में समानता

● समानता का इम्तिहान उस वक़्त होता है जब ह़सब व नसब में बाइज़्ज़त

शख़्स को अपनी बेटी ऐसे मर्द को देना पड़े जो उस से कमतर हो, मगर इस्लाम में ऐसे नमूने भी मौजूद हैं।

ज़ैनब बिन्त जह़श का निकाह़-

हज़रत ज़ैनब बिन्त जह़श क़ुरैशिया हज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की सगी फूफी की बेटी का निकाह़ पहले ज़ैद (रज़ि०) बिन ह़ारिसा से हुआ था, जिन को अहले मक्का ज़रख़रीद ग़ुलाम जानते थे और जिन को बाज़ार उ़क्क़ाज़ से ख़रीद कर लाने वाला ह़कीम बिन ह़िज़ाम भी मौजूद था अर्थात ग़ुलाम की तलाक़ शुदा बीवी से हज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने निकाह़ किया, जो समानता की बहुत बड़ी मिसाल है।

● हज़रत फ़ातिमा बिन्ते वलीद बिन उ़त्बा क़ुरैशिया हज़रत अबू हुज़ैफ़ा की भतीजी हैं और क़ुरैश की मशहूर औ़रतों में शुमार की जाती थीं जो मुहाजिरात में से हैं, इन का निकाह़ अबू हुज़ैफ़ा के ग़ुलाम हज़रत सालिम (रज़ि०) से हुआ था, जो समानता की बहुत बड़ी मिसाल है।

यह दो मिसालें क़ुरैशी औ़रतों की हैं। इसी तरह़ अन्सार औ़रतों के भी निकाह़ हुए।

ग़ुलाम ह़ज़रत बिलाल का निकाह़-

अन्सार भी अपनी बेटी देने में बहुत सख़्त थे। सरदार हाशिम बिन अ़ब्द मनाफ़ क़ुरैशी की इ़ज़्ज़त बहुत थी, उन्होंने यस्रब में लैली से निकाह़ की दरख़्वास्त की तो इस मग़रूर क़बीले ने उनकी दरख़्वास्त इसी शर्त पर क़ुबूल की कि लैली कभी मक्का न जाएगी, लेकिन यही जब इन के अन्दर इस्लामी जज़्बा पैदा हुआ तो यह ग़ुलाम से भी निकाह़ करने के लिए तैयार हो गये।

एक रोज़ ह़ज़रत बिलाल (रज़ि०) ने मस्जिद में ज़ाहिर किया कि लोगो! मैं ग़ुलाम था और ह़ब्शी व ग़रीब भी हूँ लेकिन निकाह़ का ज़रूरतमन्द हूँ। क्या कोई शख़्स मुझ से अपनी बेटी की शादी कर सकता है, उन के इस दरख़्वास्त पर अन्सार के कई लोग अपनी बेटी से निकाह़ के लिए तैयार हो गये। यह भी समानता की एक मिसाल है।

ग़ुलाम उसामा बिन ज़ैद का निकाह़-

● ह़ज़रत उसामा बिन ज़ैद ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम थे, मगर इस्लाम ने उन की शान को इतना बुलन्द कर दिया था कि 'ज़ैनब बिन्त ह़न्ज़ला' से उन का निकाह़ हुआ। यह ज़ैनब बिन्त हन्ज़ला उस बड़े ख़ानदान की खातून थीं जिस ख़ानदान का बहुत बड़ा शायर अम्रउल् क़ैस था। अब उस ख़ानदान की पोती उसामा के निकाह़ में आई।

ह़ज़रत अ़ली (रज़ि०) और उन का ग़ुलाम-

● अमीरुल् मोमिनीन ह़ज़रत अ़ली (रज़ि०) का एक वाक़िया उन के ज़माना-ए-ख़िलाफ़त का है। ग़ुलाम को साथ लेकर बाज़ार गये, ग़ुलाम से फ़रमाया, मुझे भी कपड़े बनवाने है और तुम को भी कपड़ों की ज़रूरत है। तुम कपड़े की दुकान पर मेरे लिए और अपने लिए कपड़े पसन्द करो।

ग़ुलाम ने कुछ क़ीमती कपड़े अमीरुल् मोमिनीन के लिए पसन्द किये और सस्ते कपड़े अपने लिए पसन्द किये, फिर उन्हें ख़रीद कर घर ले आये। जब दर्ज़ी को देने लगे तो अमीरुल् मोमिनीन ने सस्ते कपड़ों के मुतअ़ल्लिक़ फ़रमाया कि यह हमारे लिए सिल दो और क़ीमती कपड़े के लिए फ़रमाया कि यह ग़ुलाम के लिए सिल दो। ग़ुलाम बोला कि आप हमारे आक़ा हैं और अमीरुल् मोमिनीन (प्रधानमन्त्री) हैं, आप के लिए अच्छा लिबास होना चाहिए। अमीरुल् मोमिनीन ने फ़रमाया, मैं बूढ़ा हूँ तुम जवान हो तुम को अच्छे लिबास की मुझ से ज़्यादा ज़रूरत है।

ग़ुलाम के साथ समानता-

● ह़ज़रत अबू ज़र (रज़ि०) ने एक बार ग़ुलाम से झगड़ते हुए ग़ुस्से में कह दिया, ओह़ब्श के बच्चे। ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने फ़रमाया, बस किसी बैज़ा (सफ़ेद चमड़े वाली) के बेटे को किसी सौदा (स्याह चमड़े वाली) के बेटे पर कोई फ़ज़ीलत (वरीयता) नहीं, फ़ज़ीलत तो अ़मल से है।

● इसी तरह़ एक दूसरे मौक़े का ज़िक्र है कि उन्होंने ग़ुलाम को मारा, ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) उस वक़्त वहाँ पर आ गये। फ़रमाया! अबू ज़र जो क़ुद्रत तुम

को इस ग़ुलाम पर है इस से ज़्यादा क़ुद्रत अल्लाह तआ़ला को तुम पर ह़ासिल है। ह़ज़रत अबू ज़र (रज़ि०) ज़मीन पर गिर पड़े, ग़ुलाम से फ़रमाया कि अपना पांव जूते समेत मेरे रुख़्सार पर रख दो, ताकि मेरी यह बड़ाई निकल जाए।

ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) का बदला देने का इरादा-

जंगे बद्र में फ़ौज की सफ़बन्दी (क़तारबन्दी) हो रही थी, एक सह़ाबी कतार में बराबर से खड़े न थे, ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने अपनी पतली छड़ी से जो ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) के हाथ में थी, उन को थोड़ा सा छुआ कर कहा कि बराबर हो जाओ। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह! मुझे तो इस छड़ी के लगाने से तक्लीफ़ हुई है और मैं आप से इस का बदला लूँगा। ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने फ़रमाया, मैं मौजूद हूँ यानी बदला ले लो, वह बोला कि मेरे बदन पर जिस वक़्त आप ने छड़ी लगाई थी उस वक़्त तो मेरे बदन पर कुर्ता नहीं था, इसलिए आप (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) भी कुर्ता उठा लें। ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने कुर्ता उठा लिया तो उन्होंने बढ़कर आप (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) के नूरानी जिस्म को चूम लिया और अ़र्ज़ किया कि मेरा मक़्सद बदला लेना नहीं था, बल्कि इस ग़ुस्ताख़ी से मेरा मक़्सद यह था कि दुनिया में ही उस शर्फ़ को ह़ासिल कर लूँ जो और लोगों को ह़ासिल नहीं।

उस नेक इन्सान के दिल में छुपी हुई नियत चाहे कुछ भी रही हो, इस्लामी तअ़लीम का नमूना तो यह है कि ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) क्यों एक अद्ना उम्मती को बदला देने के लिए आमादा हो जाते हैं और जिस्म मुबारक को बदला दिलवाने पर रज़ामन्द नज़र आते हैं। यही वास्तविक समानता व इन्साफ़ है।

इस समानता की ह़िमायत व ह़िफ़ाज़त के लिए लोग नुक़्सान बर्दाश्त करने के लिए रज़ामन्द हो जाते थे, मगर समानता में कमी न आने देते थे।

हुकूमत और रिआ़या (जनता) में समानता-

ख़लीफ़ा के काम को बाक़ायदा अन्जाम देने के लिए अव्वलीन मुहाजिरीन व अन्सार की एक कमेटी और फ़तेह़ मक्का के बाद ईमान लाने वाले मुस्लिमों की दूसरी कमेटी मुक़र्रर की गई, जिस के नियम इस प्रकार थे-

(1) ख़लीफ़ा अपनी राय से कोई नई वसूली नहीं लगा सकता था। जो मह़सूल (टैक्स) लगाया जाता उस पर कौंसिलों की जाँच होती थी। ज़िम्मेदार अफ़्सरों के नियुक्ति के वक़्त किसी जंग की शुरुआ़त या ख़त्म करने से सम्बन्धित जैसे-

● ह़ज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि०) का लश्करे इस्लाम को रवाना करने के लिए मश्वरा लिया गया, इसी प्रकार ईराक़ व शाम व मिस्र पर ह़मला के लिए मश्वरा लिया गया और ख़ालिद व अबू उ़बैदा (रज़ि०) की सिपहसालारी पर ह़ज़रत उ़स्मान (रज़ि०) के समय में मशवरा किया गया और अ़म्र बिन आ़स की जानशीनी पर भी आ़म मश्वरा लिया गया।

(2) ख़लीफ़ा का बहैसियत ख़लीफ़ा किसी मुल्क में सफ़र करने के लिए कमेटी की मन्ज़ूरी लेनी होती थी।

(3) ख़लीफ़ा को एक मुक़र्रर वज़ीफ़ा (वेतन) मिलता था और वज़ीफ़ा पिछले ख़िद्‌मात के नतीजे में होता था। ख़िलाफ़त की ख़िद्‌मत के अन्जाम देने पर कोई ख़ास मुआ़वज़ा नहीं दिया जाता था। ह़ज़रत उ़मर फ़ारूक़ (रज़ि०) सिर्फ़ बद्‌रियों का वज़ीफ़ा (वेतन) लेते थे।

(4) ख़लीफ़ा को अपनी पालिसी (उसूल हुक्मरानी) का इज़्हार करना पड़ता था।

(5) ख़लीफ़ा आ़म जनता के सामने अपने कामों का जवाबदेह होता था और उसे जवाब देना पड़ता था।

नोट- आज दुनिया इस इस्लामी जम्हूरी हुकूमत की ख़ूबियों को मानती है। अल्लाह तआ़ला का यह हुक्म ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) के लिए भी था।

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ

अनुवाद- "आप लोगों से मश्वरा कर लिया कीजिए"।

(सूरः आले इ़मरान आयत नं० 159)

वह नबी जिन पर किताब नाज़िल हुई, जिन का कोई हुक्म अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर नहीं होता। उन्हें मश्वरे का हुक्म दिया गया है, ताकि कोई शख़्स भी (बुज़ुर्गी और कमाल की बुनियाद पर) इस हुक्म से अलग न समझा जाए।

अम्न की एक अहम ज़रूरत इन्साफ़

इन्साफ़ का मतलब है किसी के साथ ऐसा मामला करना, जिस का वह ह़क़ीक़त में मुस्तह़िक़ हो। अ़द्‌ल व इन्साफ़ की तराज़ू ऐसी होनी चाहिए कि मुह़ब्बत या अ़दावत किसी पल्ले को झुका न सके अर्थात दोस्त या दुश्मन के साथ यकसाँ इन्साफ़ करना और ह़क़ के मामले में मुह़ब्बत व अ़दावत से प्रभावित न होना।

इस तरह़ यह विश्व शाँति के लिए अ़द्‌ल एक अहम नुस्ख़ा है। जिसे अल्लाह तआ़ला ने क़ुर्आन मजीद की सूरः माइदा आयत नं० (8) में फ़रमाया-

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

अनुवाद- "अल्लाह हुक्म देता है कि (हर मामले में) इन्साफ़ करो। सब के साथ भलाई से पेश आओ। क़राबतदारो के साथ सुलूक करो और तुम्हें रोकता है बेह़याई की बातों से, हर तरह़ की बुराईयों से और ज़ुल्म और ज़्यादती के कामों से। वह तुम्हें नसीह़त करता है ताकि (ध्यान दो)"। (सूरः नह़ल आयत नं० 90)

व्याख्या- अ़दल् तमाम अच्छे आ़माल की बुनियाद है। जिस इन्सान के अन्दर यह बात पैदा हो गई कि जो बात करनी हो उसे इन्साफ़ के साथ करें और अच्छे अन्दाज़ में करें।

समाज में अम्न व सलामती के लिए मुस्लिम हो या ग़ैर मुस्लिम सभी के दर्मियान आपसी सम्बन्ध का वातावरण क़ायम करना चाहिए ताकि समाजी इन्सानी हमदर्दी हर तरफ़ आ़म हो जाए जिस की तस्दीक़ 'ह़ल्फ़ुल् फ़ुज़ूल' के मुआ़हिदा नामा से भी होती है, जिसमें कहा गया था कि हम सभी कमज़ोरों और ज़रूरतमन्दों की मदद करेंगे। दूसरे यह कि मुसीबतज़दों की दिलजोई करेंगे और तीसरे यह कि मज़्लूमों की ह़िमायत करेंगे। यह दौर-ए-जाहिलियत में ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की मौजूदगी में मुआ़हिदा हुआ था, जिस की अहमियत बताते हुए ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने फ़रमाया था, उसी को

हज़रत तल्हा बिन औ़फ़ ने इस तरह़ नक़्ल किया है कि-

"हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने फ़रमाया, मैं अ़ब्दुल्लाह बिन जुद्आ़न की रिहाईशगाह (आवास) पर एक ऐसे मुआ़हिदा (ह़ल्फ़ुल् फ़ुज़ूल) में शरीक था जिस के बदले में मुझे सुर्ख़ ऊँट भी पसन्द नहीं और जिस के लिए आज भी अगर मुझे आवाज़ दी जाए तो मैं ज़रूर लब्बैक कहूँगा"।

(बैहक़ी/सुनन कुब्रा ह़दीस नं० 13080/मोअ़रफ़तुल् सुनन वल् आसार ह़दीस नं० 13232)

हुक़ूक़ की अदाएगी के ज़रिये अम्न-

समाजी हुक़ूक़ से सम्बन्धित क़ुर्आन इन्सान को हमदर्दी के साथ आपस में रहने की ताकीद करता है और उस के नियम विस्तार से बयान करता है कि अगर इन्सान इन नियमों को अपनाए तो अम्न का वातावरण क़ायम करने में बहुत मदद मिलेगी। जैसा कि क़ुर्आन में है-

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ﴿٦٣﴾

अनुवाद- "रह़मान के बन्दे वह हैं जो दुनिया में आ़जिज़ी के साथ रहते हैं और जब जाहिल उन से बात करते हैं तो यह उन को सलामती की दुआ़ देते हैं"। (सूरः फ़ुर्क़ान आयत नं० 63)

बच्चों के हुक़ूक़ अदा करने के ज़रिये अम्न

क़ुर्आन में बच्चों के हुक़ूक़ अदा करने की बहुत ताकीद की गई है, ताकि अच्छी तर्बियत के नतीजे में बच्चे समाज में अम्न व अमान का ज़रिया बनें। जैसा कि क़ुर्आन में फ़रमाया गया है-

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ

अनुवाद- "तंगदस्ती के डर से तुम अपनी औलाद को न मारा करो"।

(सूरः बनी इस्राईल-31)

वालिदैन के हुक़ूक़ अदा करने के ज़रिये अम्न

इसी तरह़ क़ुर्आन मजीद में वालिदैन के हुक़ूक़ की भी बहुत ताकीद की

गई है। जैसा कि फ़रमाया गया है-

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

अनुवाद- "माँ बाप के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करो"।

(सूरः बनी इस्राईल आयत नं० 23)

हुकूमत के हुक़ूक़ अदा करने के ज़रिये अम्न

क़ुर्आन मजीद ने ह़ाकिमों के हुक़ूक़ और क़ानून की पाबन्दी की भी ताकीद की गई है, ताकि क़ानून की पाबन्दी के ज़रिये मुल्क में अम्न की फ़िज़ा क़ायम हो। जैसा कि क़ुर्आन में कहा गया है-

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ

अनुवाद- "अल्लाह की इताअ़त और रसूल की इताअ़त और अपने अमीरो (ह़ाकिमों या अधिकारियों) की फ़रमाँबरदारी करो"।

(सूरः निसा आयत नं० 59)

ख़िलाफ़त का मक़्सद अम्न को क़ायम करना

इस्लामी ख़िलाफ़त का मक़्सद भी अम्न क़ायम करना है कि मुल्क में रहने वाले शहरियों के हुक़ूक़ जब अदा किये जाएँगे तो हर तरफ़ अम्न ही अम्न होगा जिस से मुल्क तरक़्क़ी की राहों पर चलेगा। जैसा कि फ़रमाया गया है-

وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا

अनुवाद- "ख़ौफ़ जाता रहेगा और अम्न उस की जगह संभाल लेगा"।

(सूरः नूर आयत नं० 55)

क़रीबी रिश्तेदारों के हुक़ूक़ के ज़रिये अम्न

इन्सान जिस ख़ानदान में जन्म लेता है, जिस के साथ वक़्त गुज़ारता है उन के हुक़ूक़ और आदाब होते हैं, जिन का ज़िक्र क़ुर्आन में इस तरह़ बयान किया गया है-

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ

अनुवाद- "क़राबतदारों और ग़रीबों मिस्कीनों का ह़क़ अदा किया

करें"। (सूरः रूम आयत नं० 38)

ग़ैर मुस्लिमों की सुरक्षा और उन के हुक़ूक़

अम्न का एक अहम तक़ाज़ा तमाम इन्सानों की सुरक्षा है और इस्लाम में किसी इन्सान को नुक़्सान पहुँचाने की सख़्ती से मनाही है, इसीलिए इस्लाम में किसी को क़त्ल करना सब से बड़ा गुनाह क़रार दिया गया है चाहे वह जिस मज़हब का मानने वाला हो। इस्लाम में इन्सानी जान का क़त्ल ह़राम है, इसीलिए कहा गया है कि एक इन्सानी जान का क़त्ल पूरी इन्सानियत के क़त्ल जैसा है।

क़ुर्आन में कहा गया है-

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۚ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًۢا
بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ

अनुवाद- "इसी वजह से हम ने बनी इस्राईल के बारे में यह हुक्म जारी कर दिया था कि जो शख़्स किसी आदमी को बग़ैर किसी मक़्तूल के बदले या ज़मीन में फ़साद फैलाने के लिए क़त्ल कर डाले तो गोया उस ने तमाम इन्सानों को क़त्ल कर दिया"। (सूरः अलू माइदा-32)

किसी को नाहक़ क़त्ल करना अल्लाह की निगाह में जुर्म अ़ज़ीम है और इस की वजह से शर व फ़साद का जो ख़तरनाक दरवाज़ा खुलता है, उस का बन्द करना मुश्किल तरीन काम होता है।

इसलिए अल्लाह तआ़ला ने बनी इस्राईल के लिए यह हुक्म जारी कर दिया था कि जो किसी को जानबूझकर क़त्ल करेगा या ज़मीन में फ़साद बरपा करने की कोशिश करेगा तो वह ऐसा है जैसे तमाम इन्सानों को क़त्ल करने वाला हो और जो माफ़ी और दरगुज़र या किसी और तरीक़े से किसी की ज़िन्दगी को बाक़ी रखने का ज़रिया बनेगा तो वह ऐसा है जैसे कि तमाम लोगों की ज़िन्दगी बाक़ी रखने का ज़रिया बने।

● इब्ने जरीर की रिवायत में है कि ह़सन बसरी (रह़०) से पूछा गया कि क्या इस आयत में मौजूद हुक्म बनी इस्राईल की तरह़ हमारे लिए भी है? तो उन्होंने कहा, हाँ, उस ज़ात की क़सम जिस के सिवा कोई मअ़बूद नहीं उन के ख़ून को

किस चीज़ ने हमारे ख़ून से ज़्यादा क़ीमती बना दिया है? (तफ़्सीर तबरी)

● ह़ज़रत मुजाहिद (रह़०) ने फ़रमाया-

जिस शख़्स ने एक जान को भी नाहक़ क़त्ल किया तो उस क़त्ल की वजह से वह दोज़ख़ में जाएगा। जैसा कि वह तब दोज़ख़ में जाता जब वह सारे इन्सानों को क़त्ल कर देता (यानी उस का अ़ज़ाब ऐसा होगा जैसे उस ने सारे ही इन्सानों को क़त्ल कर दिया हो)।

● ह़ज़रत क़तादह (रह़०) ने फ़रमाया-

अल्लाह तआ़ला ने उस की सज़ा बढ़ा दी है और उस का बोझ ज़्यादा कर दिया है यानी जो शख़्स जानबूझकर किसी के क़त्ल को ह़लाल समझता है गोया वह तमाम लोगों को क़त्ल करता है"।

● ह़ज़रत ह़सन बसरी (रह़०) ने फ़रमाया-

(जिस ने नाह़क़ एक जान को क़त्ल किया) उस पर उस के क़त्ल का क़िसास वाजिब होगा, उस शख़्स की मिसाल उस जैसी है कि जिस पर तमाम इन्सानियत को क़त्ल करने का क़िसास वाजिब हो।

ग़ैर मुस्लिमों को तक्लीफ़ पहुँचाने की मनाही-

ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने फ़रमाया, "जिस शख़्स ने मुआ़हिद को क़त्ल किया वह जन्नत की ख़ुशबू तक नहीं पाएगा और यक़ीनन उस की ख़ुशबू चालीस साल की मुसाफ़त से पहले ही मह़सूस की जाती है"।

(सह़ीह़ बुख़ारी, किताब अलू जिज़्या, रक़मः 3166)

● ह़ज़रत अबूहुरैरा (रज़ि०) ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) से रिवायत करते हैं, "जिस शख़्स ने मुआ़हिद को क़त्ल किया (जो अल्लाह और उस के रसूल के ज़िम्मे था) तो वह जन्नत की ख़ुशबू तक नहीं पाएगा, ह़ालांकि उस की ख़ुशबू चालीस साल की मुसाफ़त से पहले ही मह़सूस की जाती है"।

(सुनन तिर्मिज़ी नं० 1403)

● ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने फ़रमाया, "यहूदी, ईसाई और हर मुआ़हिद की दियत (बदला) एक मुसलमान की तरह़ की दियत (बदला) है"।

(मुसन्निफ़ अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ः 98, 9710)

सब से बड़ा जुर्म–

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि०) से रिवायत है कि हज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने फ़रमाया, "बन्दों से क़ियामत के दिन सब से पहले किसी का नाजायज़ ख़ून बहाने के बारे में सवाल होगा"। (सह़ीह़ बुख़ारी-1678/28)

● हज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने फ़रमाया, सात हलाक करने वाली चीज़ों से बचो। पूछा गया कि ऐ अल्लाह के रसूल! वह कौन सी हैं? (उन में से तीन यह हैं) आप (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि (1) शिर्क करना (2) जादू करना (3) जिस का क़त्ल जायज़ न हो उस को नाह़क़ क़त्ल करना।

(सह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल् ईमान, ह़दीस नं० 362)

ग़ैर मुस्लिम के क़ातिल पर जन्नत ह़राम–

ह़ज़रत अबू बक्र (रज़ि०) बयान करते हैं कि ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने फ़रमाया, "जो मुसलमान किसी ग़ैर मुस्लिम शहरी (मुआ़हिद) को नाह़क़ क़त्ल करेगा अल्लाह तआ़ला उस पर जन्नत ह़राम कर देगा"।

(सुनन नसई, किताबुल् क़ियामा तअ़ज़ीम क़त्ल अल् मुआ़हिद)

● हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि०) से रिवायत है कि हज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने फ़रमाया, "जिस ने किसी ग़ैर मुस्लिम शहरी (मुआ़हिद) को क़त्ल किया तो वह जन्नत की ख़ुशबू भी नहीं सूघेंगा, ह़ालांकि जन्नत की ख़ुशबू चालीस बरस की दूरी से पहले तक मह़सूस होती है"।

(सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल् जिज़्या नं० 2995 सुनन इब्ने माजा नं० 2686 मुस्नद बाज़ार 368/6, नं० 2383)

ग़ैर मुस्लिम पण्डितों या पादरियों के क़त्ल की मनाही–

ग़ैर मुस्लिमों के मज़हबी रहनुमाओं के क़त्ल की भी मनाही की गई है। ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि०) से रिवायत है, "ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) जब अपने लश्करों को रवाना करते तो हुक्म देते कि देखो गद्दारी न करना, धोका न देना, लाशों की बेहुरमती न करना और बच्चों और पादरियों (या योगियों) को क़त्ल न करना"।

(मुस्नद अह़मद 230/1, नं० 2728–मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा 484/6 नं० 23132– मुस्नद अबू यअ़ला 422/4, नं० 2549)

ग़ैर मुस्लिम के क़त्ल का बदला–

ह़ज़रत अ़ब्दुर्रह़मान (रज़ि०) बयान करते हैं कि "एक मुसलमान ने अहले किताब में से एक आदमी को क़त्ल कर दिया, वह मुक़द्मा ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) के पास पेश हुआ तो आप (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने फ़रमाया, ग़ैर मुस्लिम शहरियों के हुक़ूक़ अदा करने का सब से ज़्यादा मैं ज़िम्मेदार हूँ। चुनाँचे आप (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने (बतौर क़िसास मुसलमान क़ातिल को क़त्ल किये जाने का हुक्म दिया और उसे क़त्ल कर दिया गया"।

(मुस्नद अल् शाफ़ई नं० 342 अल् सुनन अल् कुबरा लिल् बैहक़ीः 30/8, नं० 15696)

● ह़ज़रत अ़ली (रज़ि०) से रिवायत है कि ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने ग़ैर मुस्लिमों को दियत में बराबरी के हुक़ूक़ देते हुए फ़रमाया, "अगर किसी मुसलमान ने किसी ईसाई को क़त्ल किया तो वह मुसलमान बदले में क़त्ल किया जाएगा"। (किताबुल् अय्याम-320/7)

ग़ैर मुस्लिमों पर ज़ुल्म की मनाही–

क़ुर्आन व ह़दीस के अनुसार हर शख़्स अपने आ़माल का ख़ुद ज़िम्मेदार है। जिस ने ज़ुल्म किया क़ानून के अनुसार बदला और सज़ा का वही ह़क़्दार है, उस के बदले में कोई दूसरा नहीं। उस के जुर्म की सज़ा उस के घरवालों दोस्तों या उस की क़ौम के दूसरे लोगों को नहीं दी जा सकती।

जैसा कि क़ुर्आन में है–

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا
عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

अनुवाद– "और जो इन्सान भी कोई बुरा अ़मल करता है तो उस का वबाल उसी पर पड़ता है और कोई जान किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी, फिर तुम्हें अपने रब के पास ही लौट कर जाना है, तो वह तुम्हें इस बात की ख़बर देगा जिस में तुम इख़्तिलाफ़ करते थे"। (सूरः अनआ़म-164)

● अमीरुल् मोमिनीन ह़ज़रत उ़मर (रज़ि०) ने शाम (सीरिया) के गवर्नर ह़ज़रत अबू उ़बैदह (रज़ि०) को जो आदेश लिखा था उस में यह भी दर्ज था–

(तुम बहैसियत गवर्नर शाम) मुसलमानों को उन ग़ैर मुस्लिम शहरियों पर ज़ुल्म करने, उन्हें नुक़्सान पहुँचाने और नाजायज़ तरीक़े से उन का माल खाने से सख़्ती के साथ मना करो। (किताबुल् ख़िराज लिइब्ने यूसुफ़-152)

● ह़ज़रत अ़ली (रज़ि०) ने फ़रमाया, "ग़ैर मुस्लिम शहरी टैक्स इसलिए अदा करते हैं कि उन के ख़ून हमारे ख़ून की तरह़ और उन के माल हमारे माल की तरह़ सुरक्षित हो जाएँ"। (अल् मुग्नी इब्ने क़दामत-881/9)

मज़लूम ग़ैर मुस्लिम शहरी की वकालत–

ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने ग़ैर मुस्लिम शहरियों के साथ अच्छे व्यवहार करने का हुक्म दिया है। इस्लामी रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वह ग़ैर मुस्लिम शहरियों को ज़ुल्म व ज़्यादती से सुरक्षा की ज़मानत दे। अगर इस्लामी रियासत में किसी ग़ैर मुस्लिम शहरी पर ज़ुल्म हो और रियासत उसे इन्साफ़ न दिला सके तो आप (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने क़ियामत के रोज़ ऐसे मज़लूम लोगों का वकील बनकर उन्हें उन का ह़क़ दिलवाने का एलान फ़रमाया है।

● ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने फ़रमाया–

"ख़बरदार! जिस ने किसी ग़ैर मुस्लिम शहरी पर ज़ुल्म किया या उस का ह़क़ मारा या उस पर उस की ताक़त से बढ़कर बोझ डाला या उस की दिली रज़ामन्दी के बग़ैर कोई चीज़ उस से छीन ली तो क़ियामत के रोज़ उस की तरफ़ से मैं झगड़ा करुँगा"।

(सुनन अबी दाऊद, किताबुल ख़िराज नं० 3052 अल् सुनन अल् कुबरा 205/9 अल् तर्ग़ीब वल् तरहीब 7/4)

ग़ैर मुस्लिम शहरियों की सुरक्षा–

इस्लामी हुकूमत के लिए अनिवार्य है कि वह तमाम ग़ैर मुस्लिम शहरियों को हर क़िस्म की सुरक्षा दे। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी क़ौम, मज़हब या रियासत से तअ़ल्लुक़ रखता हो, अगर वह किसी ग़ैर मुस्लिम शहरी पर ज़ुल्म व ज़्यादती करे तो इस्लामी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वह बिला धार्मिक

भेदभाव के अपने शहरी को सुरक्षा दे चाहे इस सिलसिले में उसे ताक़त का प्रयोग करना पड़े।

जैसा कि क़ुर्आन में कहा गया है–

وَاَخَذۡنَا الَّذِيۡنَ ظَلَمُوۡا بِعَذَابٍۭ بَئِيۡسٍۭ بِمَا كَانُوۡا يَفۡسُقُوۡنَ ﴿۱۶۵﴾

अनुवाद– "और हम ने उन लोगों को जो ज़ुल्म करते थे निहायत बुरे अ़ज़ाब के ज़रिये पकड़ लिया क्योंकि वह नाफ़रमानी कर रहे थे"। (सूरः अअ़राफ़-165)

● ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि०) से रिवायत है कि ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने फ़रमाया, "जिस ने किसी ग़ैर मुस्लिम शहरी को तक्लीफ़ पहुँचाई तो मैं उस का वकील हूँगा और जिस का मैं वकील हूँगा तो क़ियामत के दिन मैं उस पर ग़ालिब आ जाऊँगा"। (तारीख़ बग़दादः 370/8 उ़म्दतुल् क़ारीः 89/15)

ग़ैर मुस्लिम शहरियों की ख़ारिजी सुरक्षा–

ग़ैर मुस्लिम शहरियों की सुरक्षा करने के लिए हुकूमते वक़्त पर वह सब कुछ अनिवार्य है जो एक मुसलमान की सुरक्षा के लिए उस पर लाज़िम है। चूंकि हुकूमत के पास क़ानूनी व सियासी तौर पर सत्ता होती है और फ़ौजी क़ुव्वत भी, इसलिए उस पर लाज़िम है कि वह उन के मुकम्मल सुरक्षा का एहतिमाम करे।

अमीरुल् मोमिनीन ह़ज़रत अ़ली (रज़ि०) फ़रमाते हैं, "बेशक ग़ैर मुस्लिम शहरी इसलिए टैक्स देते हैं कि उन के माल हमारे माल की तरह़ और उन के ख़ून हमारे ख़ून की तरह़ सुरक्षित हो जाएँ"। (अल् मुग्नी 181/9- नस्बुर्रिआया 381/3)

● फ़िक़्ह ह़म्बली की किताब "मतालिबो अवलन्नहि" में है–

"हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वह ग़ैर मुस्लिम शहरियों को मुस्लिम रियासत में रहने की वजह से हर क़िस्म की तक्लीफ़ से मुकम्मल सुरक्षा दे"।

(अल् फ़ारूक़ लिल् मुराक़ीः 3/14,15)

ग़ैर मुस्लिम बच्चों के क़त्ल की मनाही–

जंग के दौरान ग़ैर मुस्लिमों के बच्चों के क़त्ल की मनाही भी इस्लाम का एक अनमोल तोह़फ़ा है।

● इमाम अबू दाऊद हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि०) से रिवायत करते हैं कि हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने इर्शाद फ़रमाया, "न किसी बूढ़े को क़त्ल करो, न दूध पीते बच्चे को, न नाबालिग़ को और न औ़रत को"।

(सुनन अबू दाऊद, किताबुल् जिहाद, नं० 2614-अल् सुनन अल् कुबरा लिल् बैहक़ी 90/9)

● "हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) औ़रतों और बड़ी उ़म्र वालों को क़त्ल करने से मना फ़रमाया करते थे"। (मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबाः 484/6)

जंगी लश्कर को आदेश-

हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) जब इस्लामी लश्कर को मुश्रिकीन की तरफ़ रवाना करते तो यह आदेश देते कि "किसी बच्चे को क़त्ल न करना, किसी औ़रत को क़त्ल न करना, किसी बूढ़े को क़त्ल न करना, पानी के स्रोतों को वीरान न करना, जंग में रुकावट डालने के सिवा किसी दूसरे पेड़ को न काटना, किसी इन्सान के हाथ पैर या नाक कान न काटना और किसी जानवर के हाथ-पैर या कान-नाक आदि न काटना, वादा ख़िलाफ़ी न करना और चोरी व ख़यानत न करना"। (अल् सुनन अल् कुबरा लिल् बैहक़ी 90/9, नं० 17934)

ग़ैर मुस्लिमों के उपास्य को बुरा कहने की मनाही-

अल्लाह तआ़ला ने मुश्रिकीन के उपास्यों को गाली देने से भी मना किया है, क्योंकि मुश्रिकीन ग़ुस्से में आकर अल्लाह तआ़ला को गाली देंगे।

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ

अनुवाद- "और ऐ मुसलमानों! तुम उन लोगों को गालियाँ न दो जो ग़ैरुल्लाह को पुकारते हैं, बस वह बग़ैर जाने समझे ज़्यादती करते हुए अल्लाह को गाली देंगे"। (सूरः अन्आ़म-108)

अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने क़तादह से रिवायत की है कि मुसलमान काफ़िरों उपास्यों को बुरा कहते थे तो उन्हें रोका गया, ताकि वह अल्लाह को गाली न देने लगें।

(तफ़्सीर अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ 61/2, नं०-840)

ग़ैर मुस्लिमों के पूजा स्थलों की सुरक्षा-

इस्लामी हुकूमत की ज़िम्मेदारी यह है कि वह सभी धर्मों के धार्मिक स्थान

और पूजा स्थलों की सुरक्षा का ख़याल रखे और उन्हें मुकम्मल सुरक्षा दे। जैसा कि क़ुर्आन में है-

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

अनुवाद- "यह वह लोग हैं जो अपने घरों से नाहक़ निकाले गये, केवल इस बात पर कि वह कहते हैं, हमारा 'रब' अल्लाह है, अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे से न हटाता रहता, तो खानक़ाहें (मठ) और गिरजा और यहूदी प्रार्थना भवन और मस्जिदें जिनमें अल्लाह का खूब नाम लिया जाता है, सब ढ़ा दिये जाते और अल्लाह उसकी ज़रूर मदद करेगा, जो 'उसकी' मदद करेगा; बेशक अल्लाह बड़ा ज़बरदस्त, ताक़त वाला है"। (सूरः हज-40)

● इस्लाम ग़ैर मुस्लिमों को उन के मज़हब व पंथ पर बरक़रार रहने की पूरी आज़ादी देता है। इस्लामी हुकूमत उन के अ़क़ीदे व अ़िबादत से नहीं रोकेगी। अहले नजरान को हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने जो ख़त लिखा था उस में यह दर्ज था-

"नजरान और उन के हलीफ़ों को अल्लाह और उस के रसूल मुहम्मद की पनाह हासिल है अर्थात उन की जानें, उन के धार्मिक काम, उनकी ज़मीनें, उनके माल और उन के पूजा स्थलों और उन के गिरजाघरों की हिफ़ाज़त की जाएगी। किसी पादरी को उस के धार्मिक पदवी, किसी राहिब (योगी) को उस की रहबानियत (योग) और किसी सत्ताधारी को उस के अधिकार से हटाया नहीं जाएगा और उन के हर चीज़ की हिफ़ाज़त की जाएगी"।

(अल् तब्क़ात अल् कुबरा लिइब्ने सअ़द 1/228, 358)

● इब्ने अबी शैबा हज़रत साबित बिन हज्जाज किलाबी से रिवायत करते हैं कि हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि०) लोगों के दर्मियान खड़े हुए और अल्लाह तआ़ला की हम्द व सना बयान की। फिर फ़रमाया, "ख़बरदार! धार्मिक स्थलों में मौजूद (ग़ैर मुतहारिब) पादरी को क़त्ल न किया जाए"।

(मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबाः 483/6, नं० 33127)

● बैहक़ी ने ह़ज़रत सईद बिन अल् मुसय्यिब (रज़ि०) से रिवायत किया है कि ह़ज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि०) जब इस्लामी लश्करों को जिहादी मुहिम पर रवाना करते तो उन्हें वसीयत करते–

"खजूर के बाग़ात को तबाह व बर्बाद न करना, न उन्हें जलाना, न किसी चौपाये को ज़ब्ह़ करना, न किसी फलदार पेड़ को काटना, न कोई गिरजाघर या मन्दिर गिराना, न बच्चों को क़त्ल करना, न बूढ़ों को, न औ़रतों को। जल्द ही तुम ऐसे लोगों को पाओगे जिन्होंने अपने आप को धार्मिक स्थलों में पाबन्द कर रखा होगा, बस तुम उन्हें और जिस चीज़ के लिए उन्होंने अपने आप को पाबन्द कर रखा है, छोड़ देना"। (अल् सुनन अल् कुब्रा लिल् बैहक़ीः 85/9, नं० 17904)

ग़ैर मुस्लिमों को आग में जलाने की मनाही–

जाहिलियत के दौर में लड़ाई के दौरान दुश्मन को ज़िन्दा जला दिया जाता था, चुनाँचे ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने जंगी क़वानीन में बेशुमार बदलाव के साथ-साथ आग में जलाने जैसी बुरी ह़रकत से भी मना फ़रमा दिया।

● ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने च्यूटियों का एक बिल देखा जिसे जलाया गया था तो आप (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने फ़रमाया–

"आग के साथ अ़ज़ाब देना आग के रब के अ़लावा किसी के लिए जायज़ नहीं"। (सुनन अबूदाऊद, किताबुल् जिहाद, नं० 2675)

● इस्लाम में ज़हरीले जानवरों को भी आग में जलाना मना है तो इन्सानों को जलाना तो और भी मना है।

मुह़म्मद बिन ह़म्ज़ह अस्लमी अपने वालिद (ह़म्ज़ह बिन उ़मर अस्लमी) से रिवायत करते हैं कि ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने उन को एक दस्ते का अमीर (लीडर) बनाया था। कहते हैं कि जब मैं रवाना हुआ तो ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने फ़रमाया–

"अगर तुम्हें फ़लाँ शख़्स मिल जाए तो उस को आग में जला देना"। मैंने पीठ फेरी तो आप (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने मुझे वापस बुलाया, मैं आप (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) के पास वापस आया तो आप (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने फ़रमाया, "अगर तुम फ़लाँ को पाओ तो उसे क़त्ल कर देना,

जलाना नहीं, बिलाशुब्हा आग का अ़ज़ाब आग का रब ही दे सकता है"।
(मुस्नद अह़मद 494/3 सुनन अबी दाऊद, किताबुल् जिहाद, नं० 2673–फ़त्हुल बारी 249/6)

ग़ैर मुस्लिमों के यहाँ लूटमार करने की मनाही–

ह़ज़रत मआ़ज़ बिन अनस (रज़ि०) से मरवी है कि मैं एक ग़ज़्वा में ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) के साथ सफ़र में था। बाज़ लोगों ने दूसरो के रास्ते को तंग किया और राह चलते मुसाफ़िरों को लूटना शुरु कर दिया। ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) को मालूम हुआ तो आप (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने एक सह़ाबी को भेज कर एलान करवाया–

"जो शख़्स दूसरों के घरों में घुस कर तंग करे या रास्तो में लूट मार करे उस का यह (दहशत गर्दाना) अ़मल जिहाद नहीं कहलाएगा"।
(सुनन अबू दाऊद, किताबुल् जिहाद, नं०–2629)

दुश्मन की खेतियों को नुक़्सान पहुँचाने की मनाही–

इस्लाम न नाह़क़ क़त्ल की इजाज़त देता है और न दुश्मन की सरज़मीन पर खुली तबाही व बर्बादी का हुक्म देता है। इस्लाम अम्न व सुधार चाहता है, इसलिए ह़ालते जंग में भी इस बात का ख़याल रखा जाता है कि न खेतियाँ बर्बाद हों, न फलदार पेड़ काटे जाएँ और न माल को जलाया जाए।

● "ह़ज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि०) ने यज़ीद बिन अबी सुफ़्यान को (दौराने जंग) फलदार पेड़ काटने या इमारत को तबाह करने से मना फ़रमाया और आप के बाद भी मुसलमान उसी पर अ़मल पैरा हैं"।
(सुनन तिर्मिज़ी, किताबुल् यस्र, बाब फ़ी अल् तह़रीक़ वल् तख़रीब, नं०–1552)

● इब्ने अबी शैबा ह़ज़रत मुजाहिद से बयान करते हैं, कि "जंग में किसी बच्चे, औ़रत या बूढ़े को क़त्ल न किया जाए और न ही खेतियों और खजूर के पेड़ो को जलाया जाए और न ही घरों को वीरान किया जाए और न ही फलदार पेड़ो को काटा जाए"। (मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबाः 483/6 नं० 33122)

महिलाओं के हुक़ूक़ के ज़रिये अम्न

इस्लाम में औ़रतों के हुक़ूक़ मर्दों के समान हैं। जैसा कि अल्लाह तआ़ला

का इर्शाद है-

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

अनुवाद- "क़ानून के अनुसार औ़रतों पर मर्दों के हुक़ूक़ हैं वैसे ही औ़रतों के मर्दों पर हुक़ूक़ हैं"। (सूरः बक़रः आयत नं० 228)

मिल्कियत का ह़क़-

मिल्कियत के ह़क़ में मर्द व औ़रत दोनों बराबर हैं। जैसा कि क़ुर्आन में कहा गया है-

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اكْتَسَبْنَ ۚ

अनुवाद- "मर्दों को उन के आ़माल (कर्म) का ह़िस्सा मिलता है और औ़रतों को उन के आ़माल (कर्म) का ह़िस्सा मिलता है"। (सूरः निसा आयत नं० 32)

विरासत में औ़रत का ह़क़-

इस्लाम ने औ़रत को विरासत में ह़क़्दार ठहराया है, बेटी होने की हैसियत से वह भाईयों की शरीक है, माँ की हैसियत से वह बाप के साथ शरीक है और शौहर की विरासत में भी बीवी का ह़िस्सा मुक़र्रर है। यह ह़िस्से क़ुर्आन ने मुक़र्रर किये हैं। (सूरः अल् निसा-11,12)

मज़लूम की मदद और ज़ुल्म की मुख़ालिफ़त

समाज में अम्न को क़ायम करने का एक ज़रिया मज़लूम की मदद करना और ज़ुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है, जिस के बग़ैर अम्न मुम्किन नहीं यानी मज़लूम की हर तरह़ की मदद हो और ज़ालिम की किसी भी तरह़ की मदद न की जाए बल्कि ह़ालात के मुताबिक़ ज़ालिम से उस का ह़क़ दिलाया जाए।

जैसा कि क़ुर्आन में मौजूद है-

وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ ﴿٤١﴾ إِنَّمَا السَّبِيلُ
عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿٤٣﴾

अनुवाद- "और जो मज़लूम ज़ुल्म किये जाने के बाद अपना बदला ले लें उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं, इल्ज़ाम उन लोगों पर है जो लोगों पर ज़ुल्म करते हैं और ज़मीन में नाह़क़ फ़साद फैलाते हैं, उन्हीं के लिए दर्दनाक अ़ज़ाब है और जो आदमी सब्र करे और माफ़ कर दे तो बेशक ऐसा करना बेहतरीन कामों में से है"। (सूरः शूरा-41,42,43)

व्याख्या- जो व्यक्ति ज़ुल्म सहने के बाद अपना बदला लेता है उस पर कोई मुवाख़िज़ा नहीं। मुवाख़िज़ा तो उन लोगों पर है जो इन्सानों पर ज़ुल्म करते और मुल्क में बग़ावत करते हैं। जो लोग ज़ुल्म व ज़्यादती पर सब्र करते हैं और माफ़ कर देते हैं तो यह काम बड़े ह़िम्मत के कामों में से है।

अच्छे सम्बन्ध के ज़रिये अम्न

अल्लाह तआ़ला ने सूरः हुजूरात आयत नं० 6 से 12 में विस्तार से क़ौमों के अच्छे तअ़ल्लुक़ात में ख़लल डालने वाले मर्ज़ का ज़िक्र किया है कि कोई किसी की हंसी न उड़ाये, किसी को ऐ़ब न लगाये, बुरे नाम न रखे और किसी के बारे में बदगुमानी न करे और बग़ैर तह़क़ीक़ के हर शख़्स की बात पर एतिमाद न करे।

यह सब ऐसे नियम हैं जिन के ज़रिये इन्सान अम्न की राहों पर चल कर पूरे आ़लम को शानदार गुलदस्ता बना सकते हैं। जैसा कि क़ुर्आन में हैं-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ
اللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ
الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ
أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿٧﴾ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٨﴾ وَإِنْ
طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا
عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا

الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿١٠﴾

(सूरः हुजूरात-6 से 10)

अनुवाद- "ऐ ईमान वालो! अगर कोई कपटाचारी तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर आये, तो उस की तह्क़ीक़ कर लिया करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम किसी क़ौम को नादानी में नुक़्सान पहुँचा दो फिर अपने किये पर तुम्हें पछताना पड़े और तुम जान लो कि तुम्हारे दर्मियान अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। अगर वह बहुत से मामले में तुम्हारी बात मान लें तो तुम मुश्किल में पड़ जाओ, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए ईमान को मह्बूब बना दिया है और तुम्हारे दिलों में उस की ज़ीनत व ख़ूबी बैठा दी है और तुम्हारे लिए कुफ़्र, नाफ़रमानी और गुनाह को क़ाबिले नफ़रत बना दिया है, यही लोग राहे रास्त पर हैं।

यह अल्लाह का फ़ज़्ल और उस की नेअ़मत है और अल्लाह बड़ा जानने वाला, बड़ी हिक्मतों वाला है और अगर मोमिनों के दो गिरोह आपस में टकरा जाएँ तो तुम उन के दर्मियान सुलह़ करवा दिया करो और अगर उन में का एक गिरोह दूसरे पर चढ़ दौड़े, तो तुम सब मिलकर बाग़ी गिरोह से जंग करो यहाँ तक कि वह अल्लाह के फ़ैसले की तरफ़ पलट आये।

फिर अगर वह पलट आए तो तुम दोनों गिरोहों के दर्मियान अ़द्ल व इन्साफ़ के मुताबिक़ सुलह़ करा दिया करो और इन्साफ़ से काम लिया करो, बेशक अल्लाह इन्साफ़ करने वालों से मुह़ब्बत करता है। बेशक मोमिनीन आपस में भाई हैं। पस तुम लोग अपने दो भाईयों के दर्मियान सुलह़ करा दिया करो और अल्लाह से डरते रहा करो, ताकि तुम पर रह़्म किया जाए। (सूरः हुजूरात-6-10)

● इसी तरह़ बहुत सी आयतों में आपसी सम्बन्धो को तोड़ने वाली चीज़ों को भी ज़िक्र विस्तार से किया है जो निम्नलिखित है-

अम्न व सलामती के अहम वसूल-

क़ुर्आन ने क़ौमों के अच्छे सम्बन्धों में ख़लल डालने वाली चीज़ों का भी

ज़िक्र इस तरह़ किया है। जैसे-

لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ

अनुवाद- "हंसी न उड़ाएँ एक क़ौम के लोग दूसरी क़ौम के लोगों की शायद वह उन से बेहतर हों"। (सूरः हुजूरात-11)

وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ

अनुवाद- "ऐ़ब न लगाओ एक दूसरे को"। (सूरः हुजूरात-11)

وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ

अनुवाद- "चिढ़ाने की ग़र्ज़ से एक दूसरे के नाम न रखो"। (सूरः हुजूरात-11)

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ﴿١٨﴾ وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ؕ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ﴿١٩﴾ (सूरः लुक़्मान-18,19)

अनुवाद- "और लोगों से बेरुख़ी न करो और न ज़मीन पर अकड़ कर चलो, बेशक अल्लाह इतराने वाले, बड़ाई हाँकने वाले को पसन्द नहीं करता और अपनी चाल में दर्मियानी (सन्तुलन) चाल अपनाओ और अपनी आवाज़ नीची रखो, इसलिए कि सब से बुरी आवाज़ गधे की है"।

व्याख्या- घमण्ड में आकर लोगों की तरफ़ से अपना मुँह न मोड़ा करो। ज़मीन पर अकड़ कर न चलो। अल्लाह तो किसी चालबाज़ फ़ख़्र करने वाले को पसन्द नहीं करता। अपनी रफ़्तार में दर्मियानी चाल रखा करो। अपनी आवाज़ को पस्त व नर्म रखा करो। आवाज़ों में सख़्त और तेज़ आवाज़ तो गधे की होती है।

मज़हबी आज़ादी के ज़रिये अम्न

क़ुर्आन मजीद में ज़बरदस्ती इस्लाम क़ुबूल करवाने के सिलसिले में स्पष्ट फ़रमाया, दीन (धर्म) में किसी क़िस्म का जब्र नहीं। इसलिए कि किसी मज़हब या पंथ को किसी पर जबरन थोपना ज़ुल्म है। जैसा कि पवित्र क़ुर्आन में कहा गया है-

لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ

وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ
سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٥٦﴾ (सूरः बक़रः-256)

अनुवाद- "धर्म के सिलसिले में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, जो बिलाशुब्हा हिदायत की राह गुमराही से अलग नुमायाँ हो चुकी है। फिर जो कोई तागूत से इन्कार कर दे (अर्थात सरकशी, फ़साद और गुमराही से दूर हो जाए) और अल्लाह पर ईमान लाए तो बिलाशुब्हा उस ने कामियाबी की मज़बूत टहनी पकड़ ली जो टूटने वाली नहीं, जिस के हाथ आ गई वह गिरने से महफ़ूज़ हो गया और याद रखो अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है"। (सूरः बक़रः-256)

व्याख्या- यह आयत दीने इस्लाम के मुकम्मल होने की दलील है और इस में इस बात का बयान है कि इस्लाम धर्म की सच्चाई स्पष्ट हो चुकी है। इसलिए ज़रूरत नहीं कि किसी को इस्लाम धर्म क़ुबूल करवाने पर मजबूर किया जाए अगर कोई शख़्स इस्लाम अपनाता है तो यह उस की अपनी इच्छा है।

इतिहास गवाह है कि मुसलमानों ने जब भी कोई शहर या इलाक़ा फ़तेह़ किया तो वहाँ के लोगों को इस्लाम क़ुबूल करने पर मजबूर नहीं किया, बल्कि उन्हें अख़्तियार दिया कि अगर वह चाहें तो अपने दीन पर रहें, इस्लामी हुकूमत उन की ह़िफ़ाज़त करेगी। जैसा कि क़ुर्आन में कहा गया है-

"तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और हमारे लिए हमारा दीन"।
(सूरः अल् काफ़िरून-6)

● इसी तरह़ दूसरी जगह फ़रमाया-

"और आप कह दीजिए कि बिलाशुब्हा घाटा उठाने वाले तो वह हैं जो क़ियामत के दिन अपनी जानों और अपने घरवालों को ख़सारे में डालेंगे, आगाह रहिए कि वही खुला नुक़्सान व घाटे में होगा"। (सूरः अल् ज़ुमर-15)

इन आयात में यही बात बयान की गई है कि कुफ़्फ़ार को इस्लाम क़ुबूल करवाने पर मजबूर नहीं किया जाएगा।

इन्सानी ज़ुल्म व सितम-

इन्सानी ज़ुल्म व सितम की जो घटनाएँ इतिह़ास में हैं, उन में से तीन

चौथाई घटनाएँ सिर्फ़ अत्याचार का नतीजा हैं, जो एक गिरोह ने दूसरे गिरोह को अपना मददगार बनाने के लिए किया। यह ह़क़ीक़त है कि दीन की राह दिल के आस्था व यक़ीन की राह है।

जब्र से इन्सानी जिस्म को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़ झुकाया तो जा सकता है, मगर दिल में एतिक़ाद व ईमान का चिराग़ रौशन नहीं किया जा सकता और जब तक चिराग़े यक़ीन रौशन न होगा वह आमाल पर नहीं आएगा, जो दीन चाहते हैं बल्कि जब्र से दिलों में नफ़रत कराहियत की आग भड़केगी।

● दूसरी जगह क़ुर्आन में है-

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۙ
اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ۙ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۗ (सूरः कहफ़-29)

अनुवाद- (ऐ पैग़म्बर) "कह दीजिए कि सच्चाई तुम्हारे परवरदिग़ार की ओर से है अब जो चाहे माने, जो चाहे न माने, हम ने ज़ालिमों के लिए ऐसी आग तैयार कर रखी है जिस की लपटें चारों तरफ़ से उन्हें घेर लेंगी"।

अच्छे व्यवहार के ज़रिये अम्न

अम्न के लिए लाज़िम है कि इन्सान एक दूसरे के साथ अच्छे व्यवहार का मामला करे। जैसा कि क़ुर्आन में है-

अनुवाद- "आप उन से कहिए कि आओ मैं तुम को वह चीज़ें पढ़ कर सुनाता हूँ जिन को तुम्हारे रब ने तुम पर ह़राम फ़रमा दिया है और वह यह हैं-

(1) अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ।
(2) वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक किया करो।
(3) अपनी औलाद को ग़रीबी व मुफ़्लिसी के डर की वजह से क़त्ल मत करो, हम तुम को और उन को रिज़्क़ देंगे।
(4) बेह़याई के तमाम तरीक़े चाहे एलानिया हों या ख़ुफ़िया उन के पास भी मत जाओ।
(5) जिन का ख़ून करना अल्लाह ने ह़राम कर दिया है उन को नाह़क़ क़त्ल मत करो, यह ख़ुदा का तुम्हारे लिए ताकीदी हुक्म है ताकि तुम समझ सको यानी

हक़ीक़ते हाल से वाक़िफ़ हो सको।

वालिदैन के साथ अच्छा व्यवहार

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ
وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ
رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ
صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

(सूरः अहक़ाफ़-15)

अनुवाद- "हम ने इन्सान को अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करने का हुक्म दिया है, उस की माँ ने उस को बड़ी मशक़्क़त के साथ पेट में रखा और बड़ी मशक़्क़त के साथ उस को जना, उस को पेट में रखना और दूध छुड़ाना तीस महीने में पूरा होता है"।

व्याख्या- क़ुर्आन ने यहाँ ह़ज़रत लुक़्मान (अ़लै०) की उस नसीह़त को नक़्ल किया है जो उन्होंने अपने बेटे को समाज में बेहतर ज़िन्दगी गुज़ारने की अपने अन्दर अहलियत पैदा करने के लिए दी थी जिस से घर और समाज में अम्न क़ायम होगा।

नेकी के ज़रिये अम्न

नेकी के सिलसिले में क़ुर्आन मजीद ने विस्तारपूर्वक इस तरह़ ज़िक्र है-

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ
حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾ (सूरः बक़रः-177)

अनुवाद- "यह नेकी नहीं कि तुम पूरब या पश्चिम की तरफ़ मुँह कर

पयामे अम्न और उस के तक़ाज़े

लिया करो। नेकी तो उन लोगों की है जो अल्लाह पर और क़ियामत पर, मलायका पर, किताबों पर और अम्बिया पर यक़ीन रखते हैं। जो अपनी ज़रूरत होते हुए भी क़रीबियो को, यतीमों को, मिस्कीनों को, मुसाफ़िरों को, माँगने वालों को, गुलामों को आज़ाद करवाने में अपना माल देते हैं, नमाज़ की पाबन्दी करते हैं, ज़कात अदा किया करते हैं, अ़हद कर के अ़हद को पूरा करते हैं और तंगदस्ती व बीमारी और जंग के वक़्त सब्र करते हैं, यही तो सच्चे लोग हैं और यही तो मुत्तक़ी हैं"।

नेकियों की क़िस्में

(1) अल्लाह की बड़ाई का एह़सास और बुराई का असर दिल पर मह़सूस हो।
(2) क़रीबी और हमसाया व यतीमों, अहले वतन के साथ अच्छा सुलूक और उ़म्दा व्यवहार के साथ ज़िन्दगी बसर करना।
(3) अदब से मिलना, रास्ते से कांटे या ठोकर लगने वाली चीज़ को हटा देना, पानी निकाल कर दे देना, भूले हुए को रास्ता बता देना, अंधेरे में रौशनी दिखा देना, बोझ उठवा देना। दूसरे को इ़ज़्ज़त के साथ बुलाना, नर्म कलामी से बात करना, यह सब नेकियों में शुमार किये गये हैं। बाप का अपने बच्चे को तअ़लीम देना सद्क़े से बेहतर बताया गया है। (तिर्मिज़ी)
(4) बेटियों और बहनों को अच्छी तअ़लीम और तर्बियत देना। (अबूदाऊद)

● ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने फ़रमाया, हर जानदार जो अपने अन्दर जिगर रखता हो अर्थात ज़िन्दा हो उस के साथ भलाई करो।

क़ुर्आन के अनुसार ह़ुक़ूक़-

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ

अनुवाद- "अच्छा व्यवहार करो माँ-बाप के साथ, नातेदारों, यतीमों और मोहताजों के साथ, नातेदार पड़ोसियों के साथ और दूर वाले पड़ोसियों के साथ और साथ रहने वाले व्यक्तियों और मुसाफ़िर के साथ,

और उनके साथ भी जो तुम्हारे क़ब्ज़े में हों"।

व्याख्या- (1) वालिदैन के साथ (2) यतीमों के साथ (3) मिस्कीनों के साथ (4) पड़ोसियों के साथ (5) साथ में बैठे पड़ोसी के साथ (6) साथ में रहने वालों के साथ (7) मुसाफ़िर के साथ (8) लौंडी के साथ, गुलाम के साथ अच्छे व्यवहार करने का ऊपर की आयत में ज़िक्र है।

● हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फ़रमाया, "जिस के फ़ित्ना से उस का पड़ोसी सुरक्षित नहीं वह साहिबे ईमान ही नहीं"। (सहीह़ बुख़ारी)

● हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फ़रमाया, "जिस के फ़ित्ना से उस का पड़ोसी चैन से नहीं, वह जन्नत में दाख़िल न होगा"। (सहीह़ बुख़ारी)

● हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि०) कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फ़रमाया, "बेवा औरतों और मिस्कीनों के लिए कामकाज करने वाला अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला जैसा है"। (बुख़ारी)

सच्ची गवाही के ज़रिये अम्न

क़ुर्आन मजीद में सूरः निसा आयत नं० (135) में एक और वसूल विश्व शाँति के लिए बयान किया गया है वह यह कि सच्ची गवाही दे और सच बोले चाहे कितना ही बड़ा नुक़्सान हो।

व्याख्या- इन्सान के लिए ज़रूरी है कि वह हर ह़ाल में सच पर क़ायम रहे और सच्ची गवाही देने में ज़रा भी न हिचकिचाये। अगरचे सच बोलने में ख़ुद उसे या उस के वालिदैन और क़राबतदारों को नुक़्सान पहुँचे। यह भी मुम्किन है कि किसी को मालदार के माल का लालच या असर व रुसूख़ का ख़ौफ़ सच कहने से रुकावट हो या कोई मुफ़्लिस हो जिस की मुफ़्लिसी पर तरस खाकर थोड़ी सी ग़लतबयानी गवारा करना बेहतर समझता हो, इन सब के बावजूद सच का दामन न छोड़े।

इन्साफ़ के मामले में स्वार्थ की पैरवी हरगिज़ न करे। यह भी नहीं कि बयान में हेर-फेर का तरीक़ा अख़्तियार करे या गवाही न देने ही से गुरेज़ करे, इसलिए कि अल्लाह तआ़ला तो दिलों और नियतों के भेद भी जानता है।

जो लोग अपने ख़िलाफ़ या अपने इन्तिहाई क़रीबी रिश्तेदारों के ख़िलाफ़

पयामे अम्न और उस के तक़ाज़े

भी सच कहते हुए न झुकें, वह मख़्लूक़ की भलाई का काम अन्जाम दे सकते हैं, जो एक शब्द ज़बान से निकालते वक़्त दस मर्तबा सोचते हैं। अम्न क़ायम करने वाले ऐसे ही लोग हो सकते हैं जो ह़क़ व इन्साफ़ के मामले में इस इन्तिहाई बुलन्द मर्तबे पर हों।

बुराई के जवाब में भलाई-

क़ुर्आन का एक अहम वसूल जिसे सूरः ह़ामीम सज्दः आयत नं० (34) में है कि बुराई के जवाब में भलाई की जाए।

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ؕ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ
بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ﴿٣٤﴾ (सूरः हामीम सज्दः-34)

अनुवाद- "और नेकी और बुराई बराबर नहीं (बुराई को) इस तरीक़े से दूर करो जो अच्छा हो (यानी नेकी के ज़रिये से) फिर तुम देखोगे कि तुम्हारे और जिस शख़्स के दर्मियान दुश्मनी थी वह तुम्हारा क़रीबी दोस्त बन जाएगा"।

नेकी में मदद के ज़रिये अम्न

विश्व शाँति के लिए सूरः माईदा आयत नं० (2) में ज़िक्र किया गया है कि नेकी के कामों में मदद की जाए और बुराई से परहेज़ किया जाए।

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ص (सूरः माईदा-2)

अनुवाद- "नेकी और ख़ुदापरस्ती के काम में एक दूसरे की मदद किया करो"।

ख़ैर के ज़रिये अम्न

अल्लाह तआ़ला ने नबियों (सन्देशवाहकों) को भी नेक कामों के करने का हुक्म दिया था।

وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ (सूरः अम्बिया-73)

अनुवाद- "हम ने (सब नबियों के पास) नेकियों के करने का हुक्म भेजा"।

माल के ज़रिये अम्न

اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٨﴾

وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُوْنَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ
اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ ﴿٦٠﴾ اُولٰٓئِكَ يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ ﴿٦١﴾

(सूरः मूमिनून–57-61)

अनुवाद– "जो लोग अपने रब की तअ़ज़ीम की निगरानी डरते हुए करते हैं, जो अपने रब के साथ किसी को उस के समान नहीं बनाते, जो अल्लाह के दिये हुए माल से लोगों को देते हैं और इस बात का ख़ौफ़ रखते हैं कि उन्हें अपने रब की तरफ़ जाना है, यह हैं वह लोग जो नेकियों की तरफ़ जल्द बढ़ने वाले हैं और यही हैं जो नेकियों को ह़ासिल कर लेंगे"।

बुराई में मदद न करने के ज़रिये अम्न

अल्लाह तआ़ला ने किसी भी बुरे काम में मदद करने से मना किया है, ताकि अम्न की फ़िज़ा क़ायम हो।

وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (सूरः माईदा-2)

अनुवाद– "गुनाह और सरकशी में किसी की मदद न करो"।

बेह़याई से परहेज़ के ज़रिये अम्न

समाज में अम्न व शान्ति के लिए ज़रूरी है कि इन्सान बेह़याई के कामों से परहेज़ करे।

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ
وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا
وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾ (सूरः अअ़राफ़–33)

अनुवाद– "ऐ नबी! कह दीजिए कि (अल्लाह तआ़ला इन चीज़ों को ह़राम ठहराता है फ़ुह़श, बेह़याई की सब क़िस्मों को जिन का तअ़ल्लुक़ ज़ाहिरी या अन्दुरुनी ह़ालात से हो और शिर्क जिस की कोई दलील नहीं (ख़ुद अपने मुक़ाबिले में) गुनाह की तमाम क़िस्में (सल्तनत के मुक़ाबिले में) बग़ावत व सरकशी (अल्लाह के मुक़ाबिले में) बेइ़ल्मी के साथ बातें बनाना"।

1. बेह़याई की सब सूरतें खुली हों या छिपी उन से परहेज़ और उन को रोकने

की कोशिश करना।

2. गुनाह से बचने और दूसरो को रोकने की कोशिश करना।
3. किसी के ख़िलाफ़ बग़ावत नाह़क़ करने से बचना।

अम्न क़ायम करने के इस्लामी सिद्धान्त

इस्लाम ने अम्न के क़याम के लिए दो अहम सिद्धान्त ज़िक्र किये गये हैं। एक है हुक़ूक़ुल्लाह (अल्लाह का ह़क़) दूसरा है हुक़ूक़ुल अ़िबाद (बन्दों के ह़क़) जो अम्न का अस्ल स्रोत हैं।

1. हुक़ूक़ुल्लाह अर्थात अल्लाह का ह़क़ जो तौबः से माफ़ हो सकते हैं और अल्लाह तआ़ला अपने हुक़ूक़ में मुकम्मल रह़म का मामला फ़रमाते हैं।
2. हुक़ूक़ुल् अ़िबाद अर्थात बन्दों का ह़क़ बन्दों के हुक़ूक़ जिस में अल्लाह तआ़ला अ़द्ल से काम लेता है। ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने फ़रमाया–

يُغْفَرُ كُلُّ ذَنْبٍ لِلشَّهِيْدِ اِلَّا الدَّيْنَ

"शहीद के सब गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं मगर क़र्ज़ा नहीं (माफ़ होता)"।

इस्लाम की ख़ुसूसियात में से यह है कि उस ने एतिदाल (सन्तुलन) की राह बताई है, जिस में हुक़ूक़ुल्लाह के लिए कायनात पर ग़ौर करना अल्लाह की मख़्लूक़ात पर ग़ौर करना, आसमान व ज़मीन और ख़ुश्की व तरी की ख़ुसूसियात पर ग़ौर करना भी इस्लाम ने अ़िबादत का अंग और अ़िबादत करने वालों के लिए बुलन्दी का ज़रिया क़रार दिया है।

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ
تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ
فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ
وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿١٦٤﴾

(सूरः बक़रः–164)

अनुवाद– "बेशक आसमानों और ज़मीन को पैदा करने में और रात-दिन के आने-जाने में और किश्तियों में, जो लोगों के फ़ायदे की चीज़ें समुद्र में

लेकर चलती हैं और बारिश में जिसको अल्लाह ने आसमान से बरसाया; फिर उसके ज़रिये ज़मीन को उसके मर जाने के बाद ज़िन्दा किया और उसमें हर क़िस्म के जानदार (जीवधारी) फैलाए; और हवाओं के फेरने में और बादल में जो (अल्लाह के हुक्म से) आसमान और धरती के बीच काम में लगे हैं (इन सब में) अक़्लमन्दों (बुद्धिमानों) के लिए निशानियाँ हैं"।

1. आसमानों की बनावट और ज़मीन की बनावट में गौर करना।
2. रात और दिन के आगे पीछे आने में गौर करना।
3. उन जहाज़ों पर ग़ौर करना जो समुद्र में लोगों के नफ़ा के लिए चलते हैं।
4. ज़मीन पर हर क़िस्म के चलने वाले, रेंगने वाले जानदारों में गौर करना।
5. हवाओं का अलग-अलग रुख़ बदल कर चलने में गौर करना।
6. उस बादल में जो आसमान व ज़मीन के दर्मियान उसी के हुक्म से बाँधे हुए हैं, उस पर ग़ौर करना।

अल्लाह तआ़ला जिन से मुह़ब्बत करता है-

अल्लाह तआ़ला ने क़ुर्आन के एक ही शब्द में बन्दों की मुह़ब्बत का अल्लाह के साथ और अल्लाह की मुह़ब्बत का बन्दों के साथ होना साबित किया है। जैसा कि क़ुर्आन में है-

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ (सूरः माईदा-54)

अनुवाद- "सच्चे बन्दे अल्लाह से मुह़ब्बत करते हैं और अल्लाह उन बन्दो से मुह़ब्बत करता है"।

फिर मुह़ब्बत इलाही कैसे बन्दों को ह़ासिल है उस का भी ज़िक्र इस तरह़ है-

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (सूरः बक़रः-195)

अनुवाद- "अल्लाह एह़सान करने वालों से मुह़ब्बत करता है"।

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ (सूरः माईदा-42)

अनुवाद- "अ़द्ल व इन्साफ़ करने वालों से मुह़ब्बत करता है"।

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ (सूरः तौबः-7)

अनुवाद- "तक़्वा वालों (संयम्मियों) से अल्लाह मुह़ब्बत करता है"।

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ (सूरः बक़रः-222)

अनुवाद- "तौबा (क्षमा) करने वालों से अल्लाह मुह़ब्बत करता है"।

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ (सूरः आले इमरान-146)

अनुवाद- "सब्र करने वालों से अल्लाह मुह़ब्बत करता है"।

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ (सूरः तौबः-108)

अनुवाद- "पाक साफ़ और तहारत वालों से अल्लाह मुह़ब्बत करता है"।

नोट- ऊपर की आयतों से मालूम हुआ कि एह़सान, तौबः, अ़द्ल व इन्साफ़, तक़्वा, सब्र और पाकी का अपने अन्दर जमा कर लेना अल्लाह तआ़ला की मुह़ब्बत को ह़ासिल करने का ज़रिया है।

अल्लाह तआ़ला की नाराज़गी

अल्लाह तआ़ला जिन बन्दों से नाराज़ होता है, उन का ज़िक्र बहुत सी आयतों में किया गया है-

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ (सूरः निसा-148)

अनुवाद- "बुराई का प्रचार करने वालों को अल्लाह नापसन्द करता है"।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ (सूरः बक़रः-190)

अनुवाद- "हुदूदे इलाही और क़ानून शरई का एह़तिराम न करने वालों को अल्लाह नापसन्द करता है"।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا (सूरः निसा-36)

अनुवाद- "ह़ीलाबाज़ इतराने वाले को अल्लाह नापसन्द करता है"।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ (सूरः अन्फ़ाल-58)

अनुवाद- "ख़यानत करने वालों को अल्लाह नापसन्द करता है"।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ (सूरः ह़ज-38)

अनुवाद- "ख़यानत करने और एह़सान को मिटा देने वालों को अल्लाह नापसन्द करता है"।

(सूरः क़सस-76) إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾

अनुवाद– "शेख़ीबाज़, इतराने वालों को अल्लाह नापसन्द करता है"।

(सूरः क़सस-77) إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

अनुवाद– "फ़साद करने वालों को अल्लाह नापसन्द करता है"।

(सूरः रूम-45) إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٤٥﴾

अनुवाद– "हक़ का इन्कार करने वाले (काफ़िर) को अल्लाह नापसन्द करता है"।

(सूरः अअ़राफ़-31) إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

अनुवाद– "इस्राफ़ करने वालों को अल्लाह नापसन्द करता है"।

(सूरः शूरा-40) إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

अनुवाद– "ज़ुल्म करने वालों को अल्लाह नापसन्द करता है"।

हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) का पैग़ामे अम्न व सलामती

हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) तमाम दुनिया में अम्न व सलामती क़ायम करने के लिए आए थे। इसीलिए क़ुर्आन मजीद में आप (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) को रहमतुल्लिल्आलमीन के लक़ब से पुकारा गया है।

(सूरः अम्बिया-107) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

अनुवाद– "और हम ने आप को तमाम जहान वालों के लिए रहमत बना कर भेजा है"।

नोट– "इस का मतलब यह है कि जो आप की रिसालत पर ईमान ले आएगा, वह ऐसा है जैसे उस ने रहमत को क़ुबूल कर लिया और अल्लाह तआ़ला की उस नेअ़मत का शुक्रिया अदा किया"।

हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) अम्न का ज़रिया हैं

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا
حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٢﴾ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ
وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾ (सूरः अन्फ़ाल-32, 33)

अनुवाद– "और जब उन लोगों ने कहा कि ऐ अल्लाह! अगर यह क़ुर्आन आप की तरफ़ से वाक़ई है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा या हम पर कोई दर्दनाक अ़ज़ाब वाक़ेअ़ कर दे और अल्लाह ऐसा न करेगा कि उन में आप के होते हुए उन को अ़ज़ाब दे और अल्लाह उन को अ़ज़ाब न देगा इस हालत में वह तौबा भी करते हों"।

● इमाम तिर्मिज़ी (रह०) ने हज़रत अबू मूसा अश्अ़री (रज़ि०) से रिवायत की है कि हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने फ़रमाया, अल्लाह तआ़ला ने मेरी उम्मत के लिए मुझ पर दो "अमान" नाज़िल किये हैं।

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ
وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾ (सूरः अन्फ़ाल-33)

अनुवाद– "कि जब तक आप उन के दर्मियान होंगे अल्लाह उन्हें अ़ज़ाब नहीं देगा और जब तक वह अल्लाह से मग़्फ़िरत तलब करते रहेंगे, अल्लाह उन्हें अ़ज़ाब नहीं देगा"।

जब मैं दुनिया से रुख़सत हो जाऊँगा तो उन के लिए दूसरा ज़रिया अमान "इस्तिग़्फ़ार" क़ियामत तक बाक़ी रहेगा।

मरीज़ो और कमज़ोरो पर आप (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की रहमत–

ज़ईफ़ और कमज़ोर लोगों से मिलने और मरीज़ो को देखने के लिए आप (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ख़ुद तशरीफ़ ले जाते। सय्यदना सहल बिन हुनैफ़ (रज़ि०) अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) मुसलमानों के बूढ़े लोगों के यहाँ ख़ुद तशरीफ़ ले जाते और उन से मुलाक़ात फ़रमाते, उन के मरीज़ों की अ़यादत करते और उन के जनाज़ो में शिर्कत फ़रमाते"।

(सिल्सिलातुल अहादीस अल् सहीहा, नं०-2112)

ख़िद्मत गुज़ारो पर आप (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की रहमत–

आप (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने अपने ख़िद्मत गुज़ारो और ग़ुलामों से कभी मुवाख़िज़ा नहीं किया, न कभी सख़्ती फ़रमाई, न कभी बुरा भला कहा और न ही किसी बात को बुरा माना।

● हज़रत अनस (रज़ि०) फ़रमाते हैं, एक रोज़ आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने मुझे एक काम का हुक्म दिया तो मैंने (मज़ाक़न) कहा, अल्लाह की क़सम! मैं नहीं जाऊँगा, हालांकि मेरे दिल में यही था कि जिस बात का आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने हुक्म दिया है मैं उस के लिए ज़रूर जाऊँगा। मैं बाहर निकला तो मेरा गुज़र कुछ लड़कों पर हुआ जो बाज़ार में खेल रहे थे (मैंने भी खेलना शुरु कर दिया) अचानक रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने पीछे आकर मुझे गर्दन से पकड़ लिया मैंने आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की तरफ़ देखा तो आप हंस रहे थे।

हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने (प्यार से) इर्शाद फ़रमाया, उनैस! मैंने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था उधर गये थे! मैंने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! बस मैं अभी जाता हूँ। सय्यदना उनैस (रज़ि०) कहते हैं! अल्लाह की क़सम! मैंने आप की लगातार नौ साल ख़िद्मत की मुझे याद नहीं आता कि मैंने कोई काम न किया हो तो कभी आप ने पूछा हो कि यह काम क्यों नहीं किया और अगर (अपने से कुछ) किया हो तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने पूछा हो, क्यों किया है?

(सहीह़ मुस्लिम, किताबुल् फ़ज़ायल नं० 2310)

● आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) अपने ख़िद्मतगुज़ारो से दिल्लगी भी किया करते थे। "सय्यदना उनैस (रज़ि०) फ़रमाते हैं मुझे रसूलुल्लाह (कभी) मुख़ातिब कर के कहते या जलूउज़्नैन ऐ दो कानों वाले"।

आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने अपने सेवकों की गल्तियों को रोज़ाना 70 मर्तबा दरगुज़र करने का हुक्म दिया है।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि०) फ़रमाते हैं, एक आदमी हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की ख़िद्मत में हाज़िर हुआ और अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह! मैं अपने नौकर को (दिन में) कितनी मर्तबा माफ़ करूँ? हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने ख़ामोशी अख़्तियार फ़रमाई। उस आदमी ने दोबारा अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह! मैं अपने नौकर को कितनी मर्तबा माफ़ करूँ? आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने इर्शाद फ़रमाया, हर रोज़ सत्तर मर्तबा"।

(सुनन तिर्मिज़ी, अब्वाब अल् बिर वल्सला नं० 1949)

काफ़िर और मुशिरकों पर रह़मत-

(एक मर्तबा) हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की ख़िद्मत में मुश्रिकीन को

बद्दुआ़ देने की दरख़्वास्त की गई। आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने इर्शाद फ़रमाया, मुझे लअ़नत करने वाला बना कर नहीं भेजा गया, बल्कि मुझे तो रह़मत बनाकर भेजा गया है"। (सह़ीह़ मुस्लिम नं०-2407)

"हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि०) मदायन में थे। एक दिन हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि०) हज़रत सलमान (रज़ि०) के पास आये तो हज़रत सल्मान (रज़ि०) ने फ़रमाया, ऐ हुज़ैफ़ा! एक दिन रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने अपने ख़ुत्बे में फ़रमाया था कि जिसे मैंने ग़ुस्से में बुरा भला कह दिया हो उस पर लअ़नत कर दी हो तो समझ लो कि मैं भी तुम जैसा एक इन्सान हूँ तुम्हारी तरह़ मुझे भी ग़ुस्सा आ जाता है। हाँ! अल्बत्ता मैं चूंकि "रह़मतुल् लिल्आ़लमीन" हूँ तो मेरी दुआ़ है कि अल्लाह मेरे इन अल्फ़ाज़ को भी (क़ियामत के रोज़) उन लोगों के लिए मूजिबे रह़मत बना देगा"। (मुस्नद अह़मद- 437/5 सुनन अबूदाऊद किताबुल् सना नं० 4659)

हैवानात और जमादात पर आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की रह़मत-

आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने जानवर के चेहरे पर दाग़ लगाने और चेहरे पर मारने से मना फ़रमाया। चुनाँचे हज़रत जाबिर (रज़ि०) से रिवायत है कि हज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने एक गधा देखा जिस के चेहरे पर दाग लगाया गया था, बस आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने इर्शाद फ़रमाया-

اَمَا بَلَغَكُمْ اِنِّی لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيْمَةَ فِیْ وَجْهِهَا اَوْ ضَرَبَهَا فِیْ

وَجْهِهَا، فَنَهٰی عَنْ ذٰلِكَ۔ (سنن ابو داؤد، کتاب الجهاد، رقم: ۲۵۶۴)

अनुवाद- "क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैंने जानवर के चेहरे पर दाग़ लगाने वाले या जानवर के चेहरे पर मारने वाले पर लअ़नत की है। फिर आप ने ऐसे करने से मना फ़रमाया"।

● हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) च्यूटियों के बिल के पास से गुज़रे, जिसे आग से जलाया गया था तो रह़मतुल् लिल्आ़लमीन (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फ़रमाया-

اِنَّهٗ لَا ی۔نْبَغِیْ اَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ اِلَّا رَبُّ النَّارِ۔

(سنن ابو داؤد، کتاب الادب رقم: ۵۲۶۸)

अनुवाद- "आग की सज़ा तो आग का मालिक ही दे सकता है"।

● हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि०) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने फ़रमाया–

"ज़मीन वालों पर रह़म करो आसमान वाला तुम पर रह़म करेगा"।

(मोअ़जम सग़ीर लिलतबरानी स 678 सह़ीह़ जामेअ़ रक़मः 896)

● हज़रत उसामा (रज़ि०) कहते हैं कि हज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने इर्शाद फ़रमाया–

"जो दूसरों पर रह़म न करे उस पर भी रह़म नहीं किया जाता"।

(मोअ़जम सग़ीर लिलतबरानी नं० 615 सह़ीह़ बुख़ारीः नं० 6013)

● रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) रह़मतुल् लिल्आ़लमीन थे। एक मर्तबा सफ़र से एक जगह उतरे, एक परिन्दा (सुरख़ाब) आकर आप के सर मुबारक के ऊपर फड़फड़ाने लगा, गोया वह आप की पनाह में रो कर शिकवा कर रहा था कि एक आदमी ने उस के अण्डे लेकर उस पर ज़ुल्म किया है। आप (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने फ़रमाया–

اَيُّكُمْ فَجَعَ هٰذِهٖ بِبَيْضَتِهَا؟ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا اَخَذْتُ
بَيْضَتَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم رُدُّوْهَا رَحْمَةً لَّهَا"۔

(صحيح الادب المفرد باب اخذ البيض من الجرة رقم الحديث: ۳۸۲)

अनुवाद– "किस ने इस के अण्डे उठा कर इसे तक्लीफ़ पहुँचाई है? एक शख़्स ने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने इस के अण्डे लिए हैं। हज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने फ़रमाया, इस पर रह़म करो इस के अण्डे वापस कर दो"।

● हज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) फ़रमाते हैं कि एक औ़रत बिल्ली की वजह से जहन्नम में दाख़िल हुई, उस ने बिल्ली को बाँधा और उसे न खिलाया और न पिलाया और न ही उसे क़ैद से छोड़ा कि ज़मीन के जानवर शिकार कर के खाती यहाँ तक कि वह भूख की वजह से मर गई। (सह़ीह़ बुख़ारी नं०-3318)

● एक बार हज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने इर्शाद फ़रमाया–

نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَاَمَرَ بِجَهَازِهٖ،
فَاَجْرَجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ اَمَرَ بَيْتِهَا، فَاُحْرِقَ بِالنَّارِ فَاَوْحَى اللّٰهِ اِلَيْهِ،
فَهَلَّا نَمْلَةً وَّاحِدَةً؟" (صحيح بخارى، رقم: ۲۳۱۹)

अनुवाद– "एक मर्तबा एक नबी किसी दरख़्त के नीचे ठहरे, एक च्यूंटी ने उन को काट लिया, इस पर उन्होंने अपना सामान वहाँ से उठवाया, फिर आग मँगवा कर सारी च्यूटियाँ जला दीं। इस पर उन की तरफ़ वह्य की गई कि क्यों न एक ही क़ुसूरवार च्यूटीं को मारा होता"।

● जानवरों पर रह़मत के मुख़्तलिफ़ अन्दाज़ थे, चुनाँचे हज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने फ़रमाया, "जो मुसलमान कोई दरख़्त (पेड़-पौधे) लगाता है उस से इन्सान और जानवर खाते हैं तो वह उस के लिए सद्क़ा है"।

(सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल् अदब नं०-6012)

● सय्यदना शद्दाद बिन औस (रज़ि०) बयान करते हैं, मैंने दो बातें हज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) से याद की हैं। आप (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने फ़रमाया, "बेशक अल्लाह ने हर काम को अच्छे तरीक़े से करना ज़रूरी क़रार दिया है बस जब तुम क़त्ल करो तो अच्छे अन्दाज़ से क़त्ल करो और जब जानवर ज़ब्ह़ करो तो अच्छे तरीक़े से ज़ब्ह़ करो, तुम में से हर आदमी को चाहिए कि अपनी छुरी तेज़ कर ले और ज़ब्ह़ होने वाले जानवर को आराम पहुँचाए"। (सह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल् सीद, नं० 2055)

हज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) का ग़ैर मुस्लिमों के साथ सुलूक–

ग़ैर मुस्लिमों के लोग जब हज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की ख़िद्मत में आते तो उन की हज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ख़ुद मेज़बानी करते, चुनाँचे जब मदीना मुनव्वरह में आप (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की ख़िद्मत में ह़ब्शा के ईसाईयों का एक वफ़्द आया तो आप (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने उन को मस्जिदे नबवी में ठहराया और उन की मेहमान नवाज़ी ख़ुद अपने ज़िम्मे ली और फ़रमाया–

اِنَّهُمْ كَانُوْا لِاَصْحَابِنَا مُكْرِمِيْنَ، وَاِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ اُكَافِتَهُمْ۔

(شعب الايمان للبيهقى رقم: ۹۱۲۵)

अनुवाद– "यह लोग हमारे साथियों के लिए मुम्ताज़ अर्थात विशेष ह़ैसियत रखते हैं, इसलिए मैंने पसन्द किया कि मैं ख़ुद इन की तअ़्ज़ीम व तकरीम (स्वागत) और मेहमान नवाज़ी करूँ"।

● एक बार नजरान के ईसाईयों का चौदह लोगों का वफ़्द मदीना मुनव्वरह आया। आप ने उस वफ़्द को मस्जिदे नबवी में ठहराया और उस वफ़्द में

शामिल मसीही को इजाज़त दी कि वह अपनी नमाज़ अपने तरीक़े पर मस्जिदे नबवी में अदा करें। चुनाँचे यह मसीही ह़ज़रात मस्जिदे नबवी की एक जानिब मश्रिक़ की तरफ़ रुख़ कर के अपने हि़साब नमाज़ पढ़ते।

(तबक़ात इब्ने सअ़दः 1/357–अल् जामेअ़ अल् अह़कामुल् क़ुर्आन लिल् क़मर तिब्बी 4/4– ज़ादुल् मआ़द–3/629)

अम्न को तबाह करने वाले स्रोत

अम्न को तबाह करने के चार स्रोत हैं–

(1) जिहालत (2) ज़ुल्म (3) शहवत (कामवासना) (4) हि़र्स (5) ग़ुस्सा (क्रोध)

(1) जिहालत– जिहालत यानी अच्छी चीज़ को बुरी और बुरी चीज़ को अच्छी शक्ल में पेश करना है। कमाल को नुक़्स और नुक़्स को कमाल समझना है।

ह़ज़रत यूसुफ़ (अ़लै०) फ़रमाते हैं–

أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ

अनुवाद– "अगर मैं औ़रतों की बातों में फँस गया तो जाहिल हो जाऊँगा"।

(2) ज़ुल्म– ज़ुल्म यानी किसी चीज़ को उस के ग़ैर मह़ल में रखा जाए।

नर्मी की जगह पर सख़्ती, सख़्ती की जगह पर नर्मी यानी ह़ुक़ूक़ का ग़लत इस्तेमाल और ग़लत इस्तेमाल पर दावा ह़क़ करना।

क़ुर्आन में है إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ "अल्लाह के ह़क़ को दूसरों के लिए जायज़ समझना सख़्त तरीन ज़ुल्म है।

(3) शहवत (कामवासना)– अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हर प्रकार के ग़लत रास्ते को अपनाना। पारसाई को ख़ात्मा किया जाए बेह़याई को आ़म किया जाए।

(4) हि़र्स– हिर्स अर्थात लालच, बुख़्ल और तंगदिली को तरक़्क़ी समझे, दूसरे के हि़स्से को हड़प कर जाए।

अल्लाह तआ़ला का इर्शाद है–

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

(सूरः बनी इस्राईल–32)

अनुवाद– "ज़िना के क़रीब भी न जाओ, यह खुली बेह़याई है और

बहुत बुरा रास्ता है"।

इसी तरह़ अल्लाह तआ़ला का इर्शाद है–

أَعْطَىٰ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ

अनुवाद– "अल्लाह ने हर एक ह़क़दार को उस का ह़क़ अ़ता फ़रमा दिया है"।

(5) ग़ज़ब या ग़ुस्सा–

ग़ज़ब से घमण्ड, कीना, ह़सद, बग़ावत पैदा होती है। "एक शख़्स ने ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) से तीन बार दरख़्वास्त की कि मुझे कुछ नसीह़त फ़रमाई जाए। रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने हर बार उसे यही जवाब दिया, ग़ैज़ व ग़ज़ब यानी ग़ुस्सा से दूर रहो।

अम्न को क़ायम रखने की ज़िम्मेदारी

अम्न अल्लाह की नेअ़मतों में से एक अहम नेअ़मत है और उस का ख़त्म हो जाना बहुत बड़ा अ़ज़ाब है।

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا
رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ
لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾ (सूरः नह़ल–112)

अनुवाद– "और अल्लाह एक बस्ती (वालों) की मिसाल बयान करता है जो पुरअम्न और पुरसुकून थी, उस की रोज़ी कुशादगी के साथ हर जगह से आती थी, फिर उस ने अल्लाह की नेअ़मतों की नाशुक्री की तो अल्लाह ने उन के करतूतों की वजह से उन्हें शदीद भूख और ख़ौफ़ का मज़ा चखाया।

अम्न की हि़फ़ाज़त–

अम्न की हि़फ़ाज़त के लिए सब से पहले तो हम अल्लाह तआ़ला की इस नेअ़मत पर अपने दिल, ज़बान और अपने अंगों से शुक्र बजा लाएँ। इस नेअ़मत

का तसव्वुर करें और इस नेअ़मत के अ़ता करने वाले की अ़ज़्मत को जानते हुए और उस के फ़ज़्ल, एह़सान और बख़्शिश व करम पर उस की बारगाह में शुक्र अदा करें, इसलिए कि शुक्र अदा करने से नेअ़मतों में इज़ाफ़ा होता है।

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ
عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝ (सूरः इब्राहीम-7)

अनुवाद- "और जब तुम्हारे रब ने यह ख़बर दी कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूँगा और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो याद रखो बेशक मेरा अ़ज़ाब सख़्त होता है"।

● इस तरह़ हर उस शख़्स का हाथ पकड़ना चाहिए जो अम्न की नेअ़मत को तहस नहस और बर्बाद करना चाहता हो कि ऐसा शख़्स अपने शर व फ़साद और सरकशी में आगे न बढ़े, इसलिए कि ऐसे शरपसन्दो को आज़ाद छोड़ देना अल्लाह तआ़ला की दी हुई नेअ़मतों की नाक़द्री और नाशुक्री है।

दहशतगर्दों की मदद-

दहशतगर्दों को माली और अख़्लाक़ी ताक़त के ह़ुसूल से मह़रूम करने के लिए ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने उन की हर क़िस्म की मदद को मना फ़रमाया है। रसुलुल्लाह (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने फ़रमाया-

"जिस शख़्स ने चन्द कलिमात के ज़रिये भी किसी मोमिन के क़त्ल में किसी की मदद की तो वह अल्लाह तआ़ला से इस ह़ाल में मिलेगा कि उस की आँखो के दर्मियान पेशानी पर लिखा होगा (آيِس مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ) "अल्लाह तआ़ला की रह़मत से मायूस शख़्स"।

क़ातिल को सज़ा-

ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि०) ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) से बयान करते हैं कि आप (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने इर्शाद फ़रमाया, जब एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को पकड़ता है और दूसरा उसे क़त्ल करता है तो क़त्ल करने वाले को क़त्ल किया जाएगा और पकड़ने वाले को जेल में डाल दिया जाएगा। (सुनन दार क़ुतनी, 140/3, नं०-176)

"और पकड़ने वाले को कब तक जेल में रखा जाएगा, इस का फ़ैसला

ह़ाकिमे वक़्त करेगा"। (तन्क़ीह़ अल् रवा-75/3)

● इन्सानियत के लिए ज़रूरी है कि वह ऐसे लोगों से चौकन्ना रहे और दूसरे मुमालिक में होने वाले वाक़िआ़त से नसीह़त ले जहाँ कि लोग लाक़ानूनियत और मुसीबत के शिकार हैं और अपने समाज में अम्न क़ायम करने से मजबूर हैं।

किसी का नाह़क़ ख़ून बहाना बड़े गुनाहों में से एक गुनाह और बड़ा जुर्म है।

ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने फ़रमाया, "बन्दा उस वक़्त तक अपने दीन की कुशादगी में रहता है जब तक कि वह किसी का नाह़क़ ख़ून न बहाए"। (बुख़ारी-6862)

● ऐसे लोगों को अल्लाह तआ़ला से डरना चाहिए और उस की बारगाह में अपने जुर्म से तौबा करना चाहिए। पिछली ज़िन्दग़ी पर नादिम व पशेमान होना चाहिए और आइन्दा जरायम के न करने का पुख़्ता इरादा करना चाहिए और उन्हें यह जान लेना चाहिए कि अल्लाह तआ़ला हर शख़्स को उस के आ़माल का बदला देगा और क़ियामत के दिन बन्दो के ह़ुक़ूक़ में, ख़ून ही वह पहला ह़क़ होगा जिस का फ़ैसला किया जाएगा।

इन्सानियत की जानों की ह़िफ़ाज़त करना और अपने मुल्क व इन्सानियत की ह़िफ़ाज़त करना और ऐसे शरपसन्दो से चौकन्ना रहना चाहिए और ऐसे लोगों का मदद्गार बनने या उन के लिए नर्म गोशा रखने या उन के कामों को अच्छा समझने या उन की पर्दापोशी करने से बचना चाहिए।

● ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने फ़रमाया-

"जिस शख़्स ने अपनी क़ौम में अम्न के साथ अपने जिस्म में सेह़त व आ़फ़ियत के साथ सुबह़ की और उस के पास दिन और रात की रोटी रोज़ी का इन्तिज़ाम हो वह ऐसा है जैसे दुनिया की सारी चीज़ें उस के पास आ गई हों। (तिर्मिज़ी 2246 इब्ने माजा 4141)

ख़ानदानी अम्न व सलामती-

ख़ानदान, इन्सानी समाज की पहली बुनियाद होती है जो औ़रत व मर्द की शादी से वजूद में आता है, जिस से इन्सानी वजूद क़ायम होता है। इस्लाम में निकाह़ से मक़्सूद यह है कि शौहर व बीवी के दर्मियान आपसी उल्फ़त व मुह़ब्बत और शफ़्क़त व हमदर्दी के साथ-साथ एक दूसरे के लिए जाँनिसारी का

जज़्बा पैदा हो, उन में आपसी रवादारी और दोनों के अन्दर एक दूसरे के मदद का जज़्बा पैदा हो, उन में अजनबियत और तन्हाई व अकेलेपन के एहसासात बाक़ी न रहें, ताकि बुरे हालात के वक़्त उन्हें एतिमाद व भरोसा की ताक़त हासिल हो और ऐसे संगीन मोड़ पर भी उन्हें सुकून व इत्मिनान की दौलत हासिल हो।

शादी व ब्याह इस्लाम की नज़र में एक सुरक्षित पनाहगाह है जिस में पहुँच कर शौहर व बीवी को अम्न व अमान, हिफ़ाज़त व सलामती, आराम व राहत, इत्मिनान व सुकून, लुत्फ़ व लज़्ज़त नसीब होती है।

हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का पहला तहरीरी दस्तूर
(मीसाक़-ए-मदीना मुनव्वरह)

मदीना मुनव्वरह में आने के बाद हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने जहाँ अहले मदीना और मुहाजिरीने मक्का के दर्मियान भाईचारे का रिश्ता क़ायम फ़रमाया था, वहीं समाजी अम्न व सलामती के लिए मदीना के इर्द-गिर्द आबाद यहूदी क़बायल, मुसलमानों और अहले मदीना के दर्मियान एक तहरीरी मुआहिदा भी किया था, ताकि दुनिया के लोग यह आरोप न लगा सकें कि मुसलमान सत्ता में आने के बाद अपने विपक्षी जनता और अल्पसंख्यक के साथ अच्छा सुलूक नहीं रखते।

मीसाक़े मदीना तहरीरी मुआहिदे पर ग़ौर करने से यह हक़ीक़त सामने आ जाती है कि हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का सारा निज़ाम ही अद्ल, समानता और हुक़ूक़े इन्सानी की रक्षा के लिए है।

मीसाक़-ए-मदीना के सन्धि की शर्तें निम्न हैं-

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

"शुरु अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है"।

यह तहरीरी मुआहिदा (सन्धि) अल्लाह के नबी मुहम्मद और यस्रब (मदीना) के उन लोगों के दर्मियान है जो मोमिन और इताअत गुज़ार हैं और वह जो उन के अधीन है और वह जो उन के साथ शामिल हो जाएँ और यह सब एक साथ मिलकर दुश्मन का मुक़ाबिला करेंगे।

(1) यह सब मुसलमान दूसरे लोगों के मुक़ाबिले में एक अलैहिदा व सियासी वहदत (उम्मत) होंगे।

(2) क़ुरैशी मुहाजिर बनी औफ़, बनी हारिस, बनू सअद, बनू नज्जार, बनू उमर, बनू औफ़ और बनू असद वग़ैरह में इस्लाम से पहले दस्तूर के मुताबिक़ ख़ून बहा अदा करेंगे और उसे उन क़ैदियों का फ़िद्या अदा करेंगे और मोमिनों का आपसी बर्ताव नेकी व इन्साफ़ पर होगा।

(3) अहले ईमान में से अगर कोई शख़्स मुफ़्लिस और मिस्कीन हो या क़र्ज़ में बुरी तरह दबा हुआ हो तो उस के ईमानदार साथी लाज़मी तौर पर उसकी मदद करेंगे, ताकि उस के हक़ का ख़ून बहा या फ़िद्या बख़ूबी अदा हो सके।

(4) कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान की इजाज़त के बग़ैर उस के मौला (मुआहिदती भाई) से मुआहिदा नहीं करेगा।

(5) अहले तक़्वा और अहले ईमान हर उस शख़्स की मुख़ालिफ़त मुत्तहिद होकर करेंगे जो सरकशी, ज़ुल्म, ज़्यादती और गुनाह का काम करेगा। ऐसे शख़्स के ख़िलाफ़ तमाम अहले ईमान के हाथ एक साथ उठेंगे चाहे वह उन में से किसी का बेटा ही हो।

(6) अल्लाह तआला का ज़िम्मा व अहद एक ही है। अहले इस्लाम का एक मामूली दर्जे का व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को पनाह देकर सब पर पाबन्दी आयद कर सकेगा। अहले ईमान आपस में भाई-भाई हैं।

(7) यहूदियों में से जो इस मुआहिदे में शरीक होंगे उन्हें बराबर की हैसियत हासिल होगी। ऐसे लोगों पर न ज़ुल्म होगा और न उन के ख़िलाफ़ किसी को मदद दी जाएगी।

(8) अहले इस्लाम की सुलह एक ही होगी। अल्लाह की राह में जंग के मौक़े पर कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान को छोड़ कर दुश्मन से सुलह नहीं करेगा और यह सुलह सब मुसलमानों के लिए बराबर और यकसाँ होगी।

(9) वह तमाम गिरोह जो हमारे साथ मिलकर जंग में हिस्सा लेंगे बारी-बारी उन्हें आराम का मौक़ा दिया जाएगा।

(10) मोमिनो को अल्लाह की राह में जो जानी नुक़्सान उठाना पड़ेगा उस का

बदला सब मिल कर लेंगे।

(11) इस मुआ़हिदे में शरीक कोई मुसलमान किसी मुश्रिक और उस के माल व जान को पनाह नहीं देगा और इस सिल्सिले में वह किसी मुसलमान की राह में रुकावट नहीं खड़ी करेगा।

(12) जो शख़्स किसी मोमिन को क़त्ल करेगा, इस का सुबूत मिलने पर उस से क़िसास लिया जाएगा। हाँ, अगर मक़्तूल का वारिस ख़ून बहा लेने पर राज़ी हो जाए तो क़ातिल क़िसास से बच सकता है। तमाम अहले ईमान पर लाज़िम होगा कि वह मक़्तूल के क़िसास से बच सकता है। तमाम अहले ईमान पर लाज़िम होगा कि वह मक़्तूल के क़िसास के लिए उठ खड़े हों, इस के सिवा उन के लिए कोई सूरत जायज़ नहीं होगी।

(13) किसी ऐसे मुसलमान के लिए जो इस अ़हदनामे को तस्लीम कर चुका है और अल्लाह और आख़िरत पर ईमान रखता है जायज़ न होगा कि वह ऐसे शख़्स को पनाह दे जो नई बात निकालने वाला (बिद्अ़ती) और फ़ित्ना अंगेज़ी करने वाला हो।

जो ऐसे शख़्स की ह़िमायत करेगा या उसे पनाह देगा वह क़ियामत के दिन अल्लाह की लअ़नत और ग़ज़ब का ह़क़्दार होगा जहाँ कोई फ़िद्या और हदिया क़ुबूल नहीं किया जाएगा।

(14) इस अ़हदनामे की पाबन्दी करने वाले लोगों के दर्मियान जब किसी मामले में इख़्तिलाफ़ पैदा हो जाए तो वह अल्लाह और उस के रसूल मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की तरफ़ रुजूअ़ करेंगे।

(15) यहूदी मुसलमानों के साथ मिल कर जब तक जंग करते रहेंगे तो वह अपने ह़िस्से की जंगी ख़र्च भी ख़ुद ही बर्दाश्त करेंगे।

(16) बनी औ़फ़ के यहूदी, मुसलमानों के साथ एक सियासी वहदत माने जाएँगे। यहूदी अपने दीन पर क़ायम रहेंगे और मुसलमान अपने दीन पर चाहे मवाली हों या असली, लेकिन ज़ुल्म और जुर्म के मुरतकिब लोग अपनी ज़ात और अपने घराने के सिवा और को मुसीबत में नहीं डालेंगे।

(17) मुआ़हिदे का कोई फ़रीक़ भी मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की इजाज़त के बग़ैर किसी जंग करने या जंग के इरादे से निकलने का ह़क़्दार नहीं होगा।

(18) इस मुआ़हिदे का शरीक किसी फ़रीक़ के ख़िलाफ़ अगर कोई जंग करेगा तो तमाम शुरका एक दूसरे की मदद करेंगे। आपस में मश्वरा करेंगे एक दूसरे की ख़ैरख़्वाही और वफ़ा शिआ़री का रवैया अख़्तियार करेंगे और अ़हद शिकनी से परहेज़ करेंगे।

(19) किसी शख़्स को ह़लीफ़ की बद्अ़मली का ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, मज़लूम की हर ह़ालत में मदद की जाएगी।

(20) यहूदी जब तक मुसलमानों के साथ मिलकर जंग करते रहेंगे वह जंग के अपने मसारिफ़ ख़ुद बर्दाश्त करेंगे।

(21) पनाह ह़ासिल करने वाले के साथ वही बर्ताव होगा जो पनाह देने वाले के साथ हो रहा हो। न उसे नुक़्सान पहुँचाया जाएगा और न अ़हद शिकनी की जाएगी।

(22) किसी औ़रत को उस के ख़ानदान वालों की इजाज़त के बग़ैर पनाह नहीं दी जाएगी।

(23) इस मुआ़हिदे में शरीक अफ़राद गिरोहों के दर्मियान कोई नई बात, मामला या झगड़ा पैदा हो जाए जिस से फ़ित्ना फ़साद का अन्देशा हो तो अल्लाह और मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की तरफ़ रुजूअ़ किया जाएगा। अ़हदनामे की इस दस्तावेज़ में जो कुछ दर्ज है वह अल्लाह की निगाह में पसन्दीदा है और वह चाहता है कि पूरी एह़तियात और वफ़ा शिआ़री के साथ इस की पाबन्दी की जाए।

(24) यस्रब पर ह़मले की सूरत में मुआ़हिदे के शुरका यानी मुसलमानों और यहूदियों पर लाज़िम होगा कि वह एक दूसरे की मदद करें।

(25) अगर यहूदियों को सुलह़ कर लेने की और उस में शिर्कत की दअ़वत दी जाएगी तो वह उसे क़ुबूल कर लेंगे। इसी तरह़ अगर यहूदी मुसलमानों को शिर्कत की दअ़वत देंगे तो उन्हें भी क़ुबूल करना लाज़िम होगा, लेकिन वह ऐसी जंग न हो जो ख़ालिस दीने इस्लाम के लिए हो।

(26) अल्लाह उस का ह़ामी व निगेहबान है जो इस इक़रार व अ़हद में मुख़्लिस और सच्चा हो, अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) भी इस के ह़ामी हैं।

- आ़म इतिह़ासकारों के नज़्दीक यह एक वक़्ती मुआ़हिदा था, लेकिन

अगर ग़ौर से देखा जाए तो यह बात स्पष्ट होकर सामने आती है कि यह दुनिया की पहली तारीख़ साज़ और इन्क़िलाब अंगेज़ दस्तावेज़ थी।

● इस के नतीजे में एक ऐसी रियासत वजूद में आई जिस ने इन्सानी तारीख़ के धारे का रुख़ मोड़ दिया। इस दस्तावेज़ में रियासत की बुनियादी पालिसी शहरियों के हुक़ूक़ फ़रायज़ रियासत की मज़बूती का तरीक़ा, ख़ारिजा पालिसी के उसूल व ज़ाब्ते और मुख़्तलिफ़ यूनिटो के हुदूद तफ़्सील से बयान कर दिये गये हैं जो अम्न व अमान को मज़बूत करने के क़ीमती उसूल हैं।

अम्न को क़ायम करने की ज़िम्मेदारी

नेअ़मते अम्न को क़ायम रखने की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ किसी फ़ौज या अमीर या मंत्री की नहीं है। यह समाज के तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी है, इसलिए कि अम्न का फ़ायदा सब उठाते हैं। अगर बद्अमनी हो जाए तो इस का नुक़्सान भी सभी को भुगतना पड़ता है।

तो जिस तरह़ इस का फ़ायदा अ़ाम है, उसी तरह़ इस का नुक़्सान भी अ़ाम है, इसलिए हर इन्सान की ज़िम्मेदारी है कि अम्न को क़याम करने की कोशिश करे और किसी मुजरिम या फ़सादी से कोई हमदर्दी न रखे।

समाज के तमाम तब्क़ो के लिए ज़रूरी है कि वह अपनी ज़िम्मेदारी का एह़सास करते हुए सच्चाई, अमानतदारी और साबित क़दमी के साथ इन चैलेन्जो के मुक़ाबिले में खड़े हो जाएँ।

● क़ाबिले एह़तिराम अध्यापकों के लिए वाजिब है कि वह अपने छात्रों को ह़क़ीक़ते ह़ाल से आगाह करें और अपने पाठ को बेहतर बनाएँ, शुब्हात को दूर करें और ह़क़ीक़त को स्पष्ट करें।

● मसाजिद के इमामों के लिए भी ज़रूरी है कि वह हर वक़्त अल्लाह की नेअ़मतें याद दिलाते रहें और उन्हें आपसी इत्तिह़ाद व इत्तिफ़ाक़ की तल्क़ीन करें और समाज में इन्तिशार, फ़ित्ना और मुसीबत डालने वाले अ़नासिर से चौकन्ना रखें।

● मीडिया (चाहे वह प्रिन्ट मीडिया हो या इलेक्ट्रानिक) से मुतअ़ल्लिक़ लोगों को भी चाहिए कि हमारी पत्रकारिता इन्सानी ख़िद्मत करने वाली हो

और लोगों को यह बताएँ कि किस तरह़ राहे एतिदाल पर चल कर जुर्म का इ़लाज कर सकते हैं? और हम अपनी ख़बरों के ज़रिये जुर्म को रोकने का प्रयास करें।

● तमाम क़बायल के अगुवा के अ़लावा समाज का हर व्यक्ति ख़बरदार और चौकन्ना रहे और इन्सानियत का ख़ैर ख़्वाह रहे और हर एक के पास सच्ची बेदारी और ख़ालिस ख़ैर ख़्वाही हो और हम एक दूसरे को इन ग़लत कार्रवाईयों से बचने की तल्क़ीन करें।

● इन्सानियत अगर नेकी और तक़्वा पर आपस में मदद करे तो अल्लाह की तौफ़ीक़ से कामियाबी होगी।

यहाँ हम निम्न बातों पर संकल्प ले सकते हैं-

1. यदि मैं विद्यार्थी हूँ तो मेरा उद्देश्य शिक्षा उन्नति, सामाजिक भलाई और अच्छा नागरिक बनना होगा और एक दूसरे से मिलकर आपस की भ्राँतियों को दूर करने का प्रयास करूँगा।
2. यदि मैं सेवा कार्य में हूँ तो मेरा सिद्धान्त सत्यता ईमानदारी तथा निष्पक्ष भाव से सेवा करना होगा।
3. यदि मैं व्यापारी हूँ तो अनुचित लाभ या आर्थिक शोषण करने से बचूँगा।
4. यदि मैं अध्यापक, लेखक, पत्रकार अथवा कवि हूँ तो ऐसे विचारों में योगदान करुँगा जो मनुष्य के प्रति मित्रता का भाव उत्पन्न करते हों और घृणा और क्रोध से बचने में सहायक हों।
5. यदि मैं न्यायधीश हूँ तो न्याय के साथ उचित अधिकार दिलाने का प्रयास करुँगा।
6. पहले इस देश को फिर पूरे विश्व को नैतिक पतन और मानवता के दमन से बचाने के लिए पूर्ण प्रयास करुँगा तथा इस धरती के निवासियों को अपना भाई और अपने कुटुम्ब का एक व्यक्ति समझकर उनके प्रति प्रेम, सहयोग एवं सहानुभूति का व्यवहार करुंगा।

इस्लाम पुरअम्न ज़िन्दग़ी की दअ़वत देता है और समाज में अम्न व

सलामती के क़याम पर इस्लाम सब से ज़्यादा ज़ोर देता है। ग़ैर मुस्लिमों से बेहतर समाजी तअ़ल्लुक़ात रखने पर कोई पाबन्दी नहीं लगाता, बल्कि सुलह़ पसन्द ग़ैर मुस्लिमों से समाजी तअ़ल्लुक़ात बेहतर बनाने की हिदायत देता है और समाजी कशीदगी को ख़त्म करने के लिए इस्लाम ने हुक़ूक़ को वाजिबात से जोड़ दिया है।

ख़ुलासा यह है कि इस्लाम हर ह़ाल में समाजी अम्न व सलामती चाहता है और समाज में किसी भी तरह़ की नफ़्रतबाज़ी को बर्दाश्त नहीं करता।

वह हर शख़्स को उस की क़बाइली, भाषी, मज़हबी, जिन्सी, सूबाई, ख़ानदानी, नस्ली फ़र्क़ को नज़र अन्दाज़ कर के उस का ह़क़ देता है, लिहाज़ा किसी शक व शुब्हा के बिना यह कहा जा सकता है कि इस्लामी तअ़लीमात के बग़ैर इन्सानी समाज में अम्न व सलामती का क़याम सम्भव नहीं है।

हम अल्लाह तआ़ला से दुआ़ करते हैं कि वह हमें अपने बद्आ़मालियों की बुराई से मह़फ़ूज़ रखें और ह़क़ पहचान कर उस पर अ़मल करने वाला और बातिल को जानकर उस से बचने वाला बनाए इसलिए कि वही इस का मालिक है और वही इस पर क़ुद्रत रखता है और अल्लाह तआ़ला की बेशुमार रह़मतें और सलामती नाज़िल हों नबी व रसूल ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) और आप की आल और आप के अस्ह़ाब पर। वस्सलाम

दुआ़ओं का तालिब
मुह़म्मद सरवर फ़ारूक़ी नदवी
दारुल उलूम नद्वतुल उ़ल्मा, लखनऊ

(मुफ़स्सिरे क़ुर्आन) मुफ़्ती मुह़म्मद सरवर फ़ारूक़ी नदवी साह़ब द्वारा लिखित हिन्दी पुस्तकें

01. क़ुर्आन का पैग़ाम (क़ुर्आन मजीद का आसान हिन्दी अनुवाद)
02. क़ुर्आन का पैग़ाम (क़ुर्आन मजीद का आसान हिन्दी अनुवाद)
03. क़ुर्आन का पैग़ाम (क़ुर्आन मजीद का आसान हिन्दी अनुवाद)
04. क़ुर्आन का पैग़ाम (पारा अम्म अनुवाद और व्याख्या)
05. तफ़्सीर फ़ारूक़ी (भाग-1 से भाग-7 तक)
06. इस्लाम धर्म क्या है? (क़ुबूले ह़क़ के बाद इस्लामी कोर्स)
07. जिहाद, आतंकवाद और इस्लाम
08. हिन्दी पत्रकारिता और मीडिया लेखन
09. अन्तिम सन्देष्टा कहाँ, कब और कौन (Hard bound)
10. अन्तिम सन्देष्टा कहाँ, कब और कौन (Paper back)
11. जन्नत के ह़ालात और जन्नती
12. कुफ़्र और शिर्क की ह़क़ीक़त
13. रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) का हुलिया मुबारक और आप (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की सुन्नतें
14. ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्ल०) की प्रमाणित जीवनी
15. अल्लाह के अधिकार और बन्दों के अधिकार
16. रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की बातें (अअ़माले ह़स्ना की रौशनी में)
17. सह़ाबा का इस्लाम और उसके बाद
18. इस्लामी राज्य की शासन व्यवस्था
19. अज़ान क्या है?
20. आओ नमाज़ की ओर
21. रोज़ः का हुक्म और उसके मसायल
22. ह़ज और उ़मरा का आसान तरीक़ा
23. ज़कात का हुक्म और उसके मसायल
24. उ़मरह का आसान तरीक़ा
25. आपके सवालों का आसान ह़ल (भाग एक)
26. झाड़, फूँक, जादू, टोना और तअ़वीज़, गंडे
27. इस्लाम की बुनियादी मालूमात
28. रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की सीरत
29. रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की पाकीज़ह ज़िन्दगी
30. बीवी-शौहर की ज़िम्मेदारियाँ *(शरीअ़त की रोशनी में)*
31. आधुनिक हिन्दी व्याकरण और मीडिया लेखन
32. सूर-ए-फ़ातिह़ा की तफ़्सीर
33. तौह़ीद की ह़क़ीक़त (क़ुर्आन व सुन्नत की रोशनी में)
34. पवित्र क़ुर्आन का सन्देश इन्सानी दुनिया के नाम
35. इस्लाम धर्म तलवार से फैला या सदाचार से
36. ग़ैर मुस्लिमों के साथ व्यवहार (ऐतिहासिक दृष्टि से)
37. ग़ैर मुस्लिमों से सम्बन्ध और धार्मिक आज़ादी
38. इस्लामी विरासत की तक़्सीम एक नज़र में
39. मीरास की तक़्सीम (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
40. लाइलाहा इल्लल्लाहु की गवाही
41. मोबाईल से सम्बन्धित मसायल (शरीअ़त की रोशनी में)
42. अल्लाह के प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) एक नज़र में
43. सृष्टि का सृष्टा कौन?
44. ईशदूतों का धर्म और परलोक विश्वास
45. प्राकृतिक नियम और परमेश्वर से इस्लाम का सम्बन्ध
46. मुह़र्रम की ह़क़ीक़त
47. इस्लाम?
48. मोबाईल व इण्टरनेट से सम्बन्धित मसायल
49. मानव कल्याण सम्बन्धी उपदेश
50. रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की 400 नसीहतें

उर्दू पुस्तकें

01. मआ़नी क़ुर्आनुल् करीम (लफ़्ज़ी तर्तीब के एतिबार से रवाँ उर्दू तर्जुमः)
02. आख़िरी रसूल कहाँ, कब और कौन?
03. ग़ैर मुस्लिमों से तअ़ल्लुक़ात और मज़हबी आज़ादी
04. इस्लाम में जिज़्या, ख़िराज और ज़िम्मियों के अख़्तियारात
05. क़ुर्आन के मिसाली नमूने और लाज़वाल मोअ़्जिज़ा
06. क़ुर्आन में इन्सान का मक़ाम और उस का अअ़ला मक़्सद
07. आ़माल को बातिल करने वाली चीज़ें और नियत की अहमियत
08. इस्लामी क़ानूने विरासत और मीरास की तक़्सीम